एससीटीआईएमएसटी

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम

केरल– 695 011, भारत

(एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)

SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM

KERALA- 695011, INDIA

(An institution of National importance, Department of Science and Technology, Govt. of India)

विवरण पत्रिका
PROSPECTUS

शैक्षणिक कार्यक्रम

ACADEMIC PROGRAM

(पीडीएफ/पीएचडी/पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा)

(PDF/PhD/PG Diploma/Diploma)

सत्र - जनवरी 2022

SESSION–January 2022

www.sctimst.ac.in

विषय सूचा

पृष्ठ संख्या

भूमिका	03
सत्र 2022 के लिए प्रस्ताव पर कार्यक्रम	04
महत्वपूर्ण तिथियाँ	05
पोस्ट डीएम/एमसीएच अधिछात्रवृत्ति	06
वेतन	07
पीएचडी कार्यक्रम	08
पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रम	16
विशेष्य नर्सिंग पाठ्यक्रम	16
विशेष जानकारी	23
प्रायोजित उम्मीदवार	25
विदेशी नागरिकों	26
शुल्क संरचना	27
छात्रों/निवासियों को हटाने की गारंटी देने वाला अधिनियम	28
संयुक्त कार्यक्रम	29
एनआईई, चेन्नई में आयोजित एससीटीआईएमएसटी के संबंध कार्यक्रम	32
सीएमसी, वेल्लूर में आयोजित एससीटीआईएमएसटी के संबंध कार्यक्रम	32
आईआईआईटीएमके में आयोजित एससीटीआईएमएसटी के संबंध कार्यक्रम	34
आवेदन प्रक्रिया	36
हॉल टिकट/कॉल लेटर	37
रैगिंग विरोधी शपथ पत्र	38
श्रेणियों की परिभाषा	40
महत्वपूर्ण संपर्क पते	42
अनुबंध	47

भूमिका

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी) संसद के एक अधिनियम (1980 का अधिनियम 52) द्वारा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक विश्वविद्यालय की स्थिति के साथ राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। चार दशक से भी पहले संस्थान ने जिस चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की संयुक्त संस्कृति का बीड़ा उठाया है, वह पुरानी हो गई है और भारत में अभूतपूर्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। संस्थान चिकित्सा विशिष्टताओं और सामाजिक प्रासंगिकता के स्वास्थ्य अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता, चिकित्सा उपकरणों और औद्योगिक महत्व की प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नत सुपर स्पेशियलिटी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। देश में कम आसानी से उपलब्ध गतिविधियों जैसे कि इंटरवेन्शनल रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल स्ट्रोककेयर, हृदयवक्ष और वाहिनी शल्यचिकित्सा, मिर्गी के लिए शल्यचिकित्सा, माइक्रो न्यूरोसर्जरी, संचालन अनिमियतता के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, नए जैवचिकित्सकीय उपकरणों और उत्पादों के विकास, वैश्विक विशिष्टताओं, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा उपकरणों का मूल्यांकन आदि पर जोर दिया गया है।।

संस्थान के तीन स्कंध हैं- अस्पताल स्कंध, जैवचिकित्सकीय प्रौद्योगिकी स्कंध और अच्युत मेनोन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र। इन स्कंधों में उत्कृष्ट शोध और सीखने के अवसर उपलब्ध हैं। संस्थान में चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और इंजिनियरों की एक समर्पित दल है जो उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समर्पित है।

संस्थान के उद्देश्य हैं:

- जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं में रोगी देखभाल के उच्च मानकों को प्रदान करना और प्रदर्शित करना।
- उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं और जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी में उच्चतम गुणवत्ता के अभिनव स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।
- अनुसंधान, प्रशिक्षण और हस्तक्षेप के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों में भाग लेना।

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1980 संस्थान को चिकित्सा विज्ञान और जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करने का अधिकार देता है और यह निर्धारित करता है कि संस्थान द्वारा दी गई चिकित्सा डिग्री और डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी और उन्हें उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल समझा जाएगा।

2022 सत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम

पोस्ट डॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति (पोस्ट डीएम/एमसीएच/डीएनबी) /पीएचडी	**अन्य कार्यक्रम**
	आईआईटी मद्रास और सीएमसी वेल्लूर के साथ संयुक्त कार्यक्रम
1. पीडीएफ पोस्ट डॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति (पोस्ट डीएम/एमसीएच/डीएनबी)	1. एम टेक (नैदानिक अभियंत्रिकी)
2. पीएचडी	2. पीएचडी (जैवचिकित्सकीय उपकरण और प्रौद्योगिकी)
पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम	**संबंध कार्यक्रम** **अन्य केंद्रों पर आयोजित**
1. हृदय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	**क. आईसीएमआर- राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान-चेन्नाई**
2. तंत्रिका प्रौद्योगिकी	1. सार्वजनिक स्वास्थ्य के मास्टर (एमपीएच)(महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य प्रणाली)
3. चिकित्सा अभिलेख विज्ञान	**ख. क्रिस्त्यन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर**
4. रक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी	1. विज्ञान निष्णात (जैव अभियंत्रिकी)
5. नैदानिक छिड़काव	2 पीएचडी (जैवअभियंत्रिकी/जैवचिकित्सा विज्ञान)
डिप्लोमा कार्यक्रम	3. सार्वजनिक स्वास्थ्य के मास्टर(एमपीएच)
1. हृदय वाहिनी और वक्ष नर्सिंग में डिप्लोमा	**ग. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान- केरल**
2. न्यूरो नर्सिंग में डिप्लोमा	1. पीएचडी (इमेजिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी)
3. उन्नत चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	
4. शल्य चिकित्सा कक्ष और विसंज्ञन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	

एससीटीआईएमएसटी

शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां- जनवरी 2022

प्रवेश अधिसूचना	1 अक्तूबर 2021
ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता (एमडी/डीएम/एमसीएच कार्यक्रमों को छोड़कर*)	01.10.2021 से 30.10.2021 (शाम 5.00 बजे तक)
पीडीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन की उपलब्धता	16.10.2021 से 15.11.2021 तक (शाम 5.00 बजे तक)
हॉल टिकट डाउनलोड	प्रवेश परीक्षा से दस दिन पहले
कार्यक्रमों की शुरुआत	1 जनवरी 2022
निदेशक का स्वागत	10 जनवरी 2022
प्रवेश परीक्षाओं की अनुसूची/अंतिम साक्षात्कार	
कार्यक्रम	***दिनांक/समय/चयन का तरीका***
डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, **पीएचडी कार्यक्रम**	लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 8 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के साथ-साथ संस्थान की वेबसाइट *'www.sctimst.ac.in'* पर जाएं। हॉल टिकट के संबंध में सूचना केवल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप-पीडीएफ (पोस्ट-डीएम/एमसीएच/डीएनबी)	चयन साक्षात्कार 14 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के साथ-साथ संस्थान की वेबसाइट *www.sctimst.ac.in'* पर जाएं। हॉल टिकट के संबंध में सूचना केवल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार	बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) / सही उत्तर के लिए एक अंक (+) 1 (गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं / समीक्षा के लिए चिह्नित / उत्तर नहीं दिए गए प्रश्न)
मार्किंग स्कीम सही तरीका	टाई का मामला उम्र (जन्म तिथि) के अनुसार हल किया जाएगा, बड़े उम्मीदवारों को सबसे कम उम्र के उम्मीदवारों पर वरीयता मिलेगी।

विभागीय मूल्यांकन/साक्षात्कार: विभागीय मूल्यांकन/साक्षात्कार की तिथि और समय की सूचना वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ दी जाएगी।

अंतिम चयन सूची साक्षात्कार के तुरंत बाद लगाई जाएगी।

परीक्षा हॉल में सेल फोन/घड़ी आदि सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*- एमडी/डीएम/एमसीएच में प्रवेश आईएनआई-सीईटी/आईएनआई-एसएस के माध्यम से होगा

प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण

1. पोस्ट डॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति (पीडीएफ) (पोस्ट डीएम/एमसीएच/डीएनबी)

संस्थान उन लोगों के लिए एक वर्षीय पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप (पीडीएफ) प्रदान करता है जिनके पास डीएम/एमसीएच (3-वर्षीय) या समकक्ष योग्यताएं हैं। पीडीएफ एक उप-विशिष्ट क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। पीडीएफ कार्यक्रम संबंधित उप-विशेषज्ञ क्षेत्र में प्रशिक्षित संकाय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उन्नत नैदानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा, पीडीएफ उन्नत नैदानिक और चिकित्सीय तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। आवेदक को वेबसाइट (www.sctimst.ac.in) पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अधिछात्रवृत्ति अवधि के दौरान कार्यक्रम और भविष्य के अनुसंधान के क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे सूचीबद्ध संबंधित पीडीएफ कार्यक्रम पर्यवेक्षकों के साथ सीधे संवाद किया जा सकता है।

प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (पोस्ट-डॉक्टोरल अधिछात्रवृत्ति के लिए):

- एमसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डीएम/एमसीएच (3 वर्ष) या समकक्ष योग्यता।
- केंद्रीय/राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण।
- कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में रहने वाले निवासी आवेदन कर सकते हैं; हालांकि उन्हें शामिल होने के समय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

आवेदन पर बायोडाटा शामिल करना है और किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य/परियोजना पर 500 शब्दों का राइट-अप देना है। चयनित शोध प्रस्तावों के लिए संस्थागत अनुदान उपलब्ध हो सकता है। उम्मीदवार प्रस्तावित कार्यक्रम की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम पर्यवेक्षक से पहले से संपर्क कर सकते हैं।

संदर्भ का पत्र

पीडीएफ पाठ्यक्रमों के लिए आवेदकों को आवेदन के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से दो संदर्भ पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक अंतिम नियोक्ता / शिक्षक से होना चाहिए, जिसके तहत उम्मीदवार ने काम किया।

ऊपरी आयु सीमा

पैंतालीस वर्ष (1 जनवरी 2022 को), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, प्रायोजित उम्मीदवारों और कम से कम पांच वर्ष की सेवा के साथ योग्य भूतपूर्व सेवा कर्मियों के लिए पांच वर्ष की छूट।

चयन की विधि

500 शब्दों के लघु शोध परियोजना प्रस्ताव और संदर्भ पत्रों की योग्यता के आधार पर आवेदन की शॉर्ट-लिस्टिंग। लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए एक साक्षात्कार के बाद विभागीय मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा।

जनवरी 2022 सत्र के लिए निम्नलिखित पीडीएफ पद उपलबंध हैं।

	विभाग/उप विशेषता	सीटों की संख्या	ईमेल आईडी के साथ कार्यक्रम पर्यवेक्षक
(i)	**तंत्रिका विज्ञान विभाग**		
	इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी	एक	डॉ आशालता आर ईमेल:drashalatha@sctimst.ac.in
	मिर्गी	एक	डॉ आशालता आर ईमेल:drashalatha@sctimst.ac.in
	संचालन अनियमितता	एक	डॉ श्याम के ईमेल:drsyam@sctimst.ac.in
	स्नायुपेशी विकार	एक	डॉ श्रुती एस नायर ईमेल:sruthisn@sctimst.ac.in
	स्ट्रोक	एक	डॉ पी एन शैलजा ईमेल:sylajapn@sctimst.ac.in
(ii)	**हृदय विज्ञान विभाग**		
	वयस्क हृदयविज्ञान और हस्तक्षेप	एक + एक #	डॉ हरिकृष्णन एस ईमेल:drhari@sctimst.ac.in
	हृदय का इलेक्ट्रोफिसियोलॉजी	एक + एक #	डॉ नारायणन नम्बूतिरि के के ईमेल: kknnamboodiri@sctimst.ac.in
	बाल चिकित्सा हृदयविज्ञान	एक	डॉ कृष्णमूर्ति के एम ईमेल:kmkm@sctimst.ac.in
(iii) तंत्रिका शल्य चिकित्सा विभाग			
	सेरिब्रोवास्कुलर शल्यचिकित्सा	एक	डॉ ईश्वर एच वी ईमेल:easwer@sctimst.ac.in
	खोपडी आधार तंत्रिका शल्यचिकित्सा	एक	डॉ ईश्वर एच वी ईमेल:easwer@sctimst.ac.in
(iv) सीवीटीएस विभाग			
	वयस्क हृदय शल्य चिकित्सा/ बाल चिकित्सा हृदय शल्य चिकित्सा	एक + एक #	डॉ बैजू एस धरन ईमेल: baijusd@sctimst.ac.in
(v) **विसंज्ञन विज्ञान विभाग**			
	बाल चिकित्सा हृदय विसंज्ञन	एक #	डॉ थामस कोश ईमेल:koshy@sctimst.ac.in

जीबी अनुमोदन के अधीन

वेतन (प्रति माह रुपये में)(प्रायोजित उम्मीदवार को छोड़कर)

कार्यक्रम	अवधि	वेतनमान/प्रति माह आईएनआर में वजीफा
पीडीएफ	01 साल	80900*

**संस्थान के नियमों के अनुसार एचआरए, डीए और टीए पर डीए, के साथ लागू*

शुल्क संरचना के लिए कृपया पृष्ठ 27 देखें

पीडीएफ कार्यक्रम के अधिक जानकारी केलिए, संपर्क करें:

कुलसचिव

एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम, केरल-695011, भारत

दूरभाष: 91-471-2524269/289/649/150

फाक्स:91-471-2446433 ईमेल:reg@sctimst.ac.in वेबसाइट: www.sctimst.ac.in

2. पीएचडी कार्यक्रम

अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान निम्नलिखित प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है।

भौतिक विज्ञान

बायोफोटोनिक्स, प्लाज्मा कोटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोइमेजिंग, जैव चिकित्सा और जैवसामग्री प्रौद्योगिकी।

रसायन विज्ञान

पॉलिमर संश्लेषण और लक्षण वर्णन, पॉलिमर प्रसंस्करण, स्मार्ट पॉलिमर, इंटरपेनेट्रेटिंग पॉलिमर नेटवर्क, डेंटल पॉलिमर, पॉलीमेरिक उपकरणों का भूतल संशोधन, रेडियो पैक पॉलिमर।

जैविक विज्ञान/जैव चिकित्सा विज्ञान

जैवरसायन, सेलबायोलॉजी, सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर हृदय विज्ञान, न्यूरोबायोलॉजी, माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, थ्रॉम्बोसिस, इम्प्लांट जैवविज्ञान, टिश्यू इंजीनियरिंग और रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजीज़, एडल्ट स्टेम सेल और रीजनरेटिव मेडिसिन, 3-डी कंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू विकल्प।

जैव अभियांत्रिकी

कृत्रिम अंग, बायोसेंसर, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन, चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी, कार्यात्मक न्यूरोइमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, चिकित्सा छवि प्रसंस्करण।

जैव सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बायोसिरेमिक्स, डेंटल मैटेरियल्स, मटेरियल टिश्यू इंटरेक्शन, ड्रग डिलीवरी एंड सेंसिंग, बायोमेडिकल पॉलिमर, टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए स्कैफोल्ड्स।

स्वास्थ्य विज्ञान (पूर्णकालिक & अंशकालिक)

महामारी विज्ञान, स्वास्थ्य में लिंग मुद्दे, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, जीआईएस सार्वजनिक स्वास्थ्य।

चिकित्सीय विज्ञान

तंत्रिका विज्ञान, हृदय विज्ञान, इमेजिंग विज्ञान और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी।

प्रवेश

पीएचडी के लिए चयन एक कैलेंडर वर्ष में दो बार जून और नवंबर में क्रमशः जुलाई और जनवरी सत्र के लिए किया जाएगा। **अनुसंधान मार्गनिर्देशक** का उपलब्धता को **संस्थान** की वेबसाइट www.sctimst.ac.in पर अधिसूचित किया जाएगा। **जुलाई चयन** केवल फेलोशिप धारकों और एमफिल (**जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी-एससीटीआईएमएसटी**) **डिग्री धारकों तक ही सीमित है।**

एएमसीएचएसएस में स्वास्थ्य विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम के लिए अंशकालिक पंजीकरण उपलब्ध है। **अन्य क्षेत्रों में पीएचडी कार्यक्रमों के लिए बाहरी या अंशकालिक पंजीकरण उपलब्ध नहीं है।**

प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

भौतिक विज्ञान: भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री (सभी शाखाएं)

रसायन विज्ञान: रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (सभी शाखाएं)

जैविक विज्ञान/जैव चिकित्सा विज्ञान: लाइफ साइंसेज (फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जीवविज्ञान, बायोइनफॉरमैटिक्स, प्लांट साइंसेज आदि)/डेंटिस्ट्री की किसी भी ब्रांच में स्नातकोत्तर डिग्री ।

जैव चिकित्सा अभियंत्रिकी: पॉलिमर इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी, मैटेरियलसाइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री।

जैवसामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी: एमफिल (जैवचिकित्सकीय प्रौद्योगिकी), भौतिक विज्ञान, रसायन, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, मैटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या वेटरनरी साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री।

स्वास्थ्य विज्ञान: आधुनिक चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान, जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन (एमबीए), लोक प्रशासन और सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। अन्य स्नातकोत्तर उपाधियों को सुझाव के गुण-दोष की जांच के बाद शैक्षणिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक:

स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा में 60% (सीजीपीए 6.5/10) अंकों के साथ लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड।

चिकित्सा विज्ञान: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग / भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री। अंतिम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों को एनएमसी / एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्ष की अनिवार्य घूर्णन इंटर्नशिप या इसके समकक्ष पूरा करना चाहिए था। उम्मीदवारों का राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पूर्ण पंजीकरण होना चाहिए। स्नातकोत्तर मेडिकल योग्यता (एमडी / एमएस / डीएनबी) वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन कोई विशेष आरक्षण या वरीयता नहीं दी जाएगी। आवेदकों के पास एमबीबीएस डिग्री में 55% अंक होने चाहिए और यूजीसी / सीएसआईआर / आईसीएमआर से राष्ट्रीय स्तर की अधिछात्रवृत्ति धारक होना चाहिए।

एमबीबीएस कार्यक्रम में उम्मीदवारों के पास 2 से अधिक प्रयास नहीं होने चाहिए।

चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध क्षेत्र:

(क) तंत्रिका विज्ञान

(ख) हृदय विज्ञान

(ग) इमेजिंग विज्ञान और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी।

चयन की विधि

शोधार्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। व्यक्तिगत जेआरएफ धारकों (यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर और डीबीटी) या एससीटीआईएमएसटी के एमफिल (जैवचिकित्सा प्रौद्योगिकी) डिग्री धारकों को लिखित परीक्षा से छूट दी गई है, और उनका चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर होगा। व्यक्तिगत केएससीएसटीई जेआरएफ, इन्स्पेयर धारकों को इस संस्थान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करनी होती है।

अन्य स्रोतों (केएससीएसटीई, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आदि) से वरिष्ठ अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति (एसआरएफ) से सम्मानित उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करनी होती है।

उम्मीदवारों को अपना आवेदन जमा करने के साथ एक **शोध प्रस्ताव** (लगभग 1000 शब्द) और **एक शोध कैरियर (लगभग 300 से 500 शब्द) शुरू करने के उद्देश्य का विवरण** अपलोड करना होगा।

संस्थान शैक्षणिक योग्यता और आवेदकों के वैज्ञानिक रिकॉर्ड और हर साल शोध गाइड की उपलब्धता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुमोदित गाइडों की सूची और अनुसंधान रुचि के उनके क्षेत्र यहां उपलब्ध हैं: **https://sctimst.ac.in/Academic%20and%20Research/Academic/Guidelines,%20Manuals,%20Forms/resources/PhD_Guides_with_Area_of_Speciality_2019.pdf**।

पीएचडी पंजीकरण के लिए आंतरिक उम्मीदवार*

1) कोई भी शैक्षणिक संकाय सदस्य जिसकी परिवीक्षा घोषित की गई है, संस्थान के पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकता है।

2) सभी संकाय सदस्यों को पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा लिखने और साक्षात्कार में भाग लेने की आवश्यकता है।

3) इन संकाय सदस्यों को आंतरिक उम्मीदवार कहा जाएगा।

4) पीएचडी कार्यक्रम की कुल अवधि तीन से सात वर्ष होगी।

सेवारत कर्मचारियों के लिए बाहरी मार्गनिर्देशकों की नियुक्ति

5) बीएमटी स्कंध का कोई भी शैक्षणिक संकाय जिसकी परिवीक्षा घोषित हो गई है, संस्थान के पीएचडी कार्यक्रम के लिए आईआईटी या एनआईटी या अन्य राष्ट्रीय संस्थानों से बाहरी गाइड के साथ पंजीकरण कर सकता है, बशर्ते योग्य गाइड अनुसंधान के क्षेत्र में एससीटीआईएमएसटी में अनुपस्थित हों।

6) ये कर्मचारी उपरोक्त संस्थानों से गाइड का चयन कर सकते हैं और गाइड की सूची को एससीटीआईएमएसटी की शैक्षणिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

7) यह अनिवार्य है कि पीएचडी कार्य एससीटीआईएमएसटी में किया जाना है और अनुसंधान का क्षेत्र अनुसंधान और विकास के लिए एससीटीआईएमएसटी जनादेश के अनुरूप है।

8) इन संकायों के पास कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए सह-मार्गदर्शक के रूप में एससीटीआईएमएसटी की अनुमोदित मार्गदर्शिका भी होनी चाहिए।

9) उन मामलों में जहां स्थायी आंतरिक संकाय को उच्च पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से फिर से नियुक्त किया गया है, पिछले स्थायी रोजगार और निचले पद पर परिवीक्षा पूरी करना पीएचडी पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

संस्थान के कार्य के लिए प्रदान की गई धनराशि को शोध कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों को पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए संस्थान की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

(अंक 1-4, जीबी अनुमोदन के अधीन)*

आयु सीमा

पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

सीटों की संख्या और आरक्षण

प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए पीएचडी पंजीकरण की गारंटी नहीं है। चयनित उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान के मान्यता प्राप्त मार्गदर्शकों के साथ बातचीत करें और उनके साथ अपने शोध हित के बारे में चर्चा करें। एक गाइड स्लॉट की उपलब्धता, उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों, छात्र की शोध रुचि, शोध अनुदान की उपलब्धता और छात्र के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधार पर एक छात्र को स्वीकार कर सकता है। चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षित वर्ग के छात्रों का चयन सूची में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। उम्मीदवार आरक्षण के हैं अन्य योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए एससीटीआईएमएसटी में छात्रवृत्ति के लिए छात्र आरक्षण प्रकोष्ठ / नोडल अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

पीएचडी मैनुअल

सभी विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.sctimst.ac.in पर उपलब्ध छात्रों के लिए पीएचडी मैनुअल (सामान्य), पीएचडी मैनुअल (स्वास्थ्य विज्ञान) और एसओपी देखें। (http://sctimst.ac.in/Academic%20and%20Research/Academic/Guidelines,%20Manuals,%20Forms/) एससीटीआईएमएसटी के जैवचिकित्सकीय (बीएमटी) स्कंध में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अस्पताल स्कंध और एससीटीआईएमएसटी के एएमसीएचएसएस के अलावा पीएचडी कार्यक्रम करने की सुविधा है।

जैवचिकित्सकीय प्रौद्योगिकी (बीएमटी) स्कंध

उद्देश्यों

जैवचिकित्सा अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में उच्चतम गुणवत्ता के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना। स्कंध की वर्तमान दृष्टि इस प्रकार है:

- ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास करना जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हों
- स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करना
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण सहायता प्रदान करें

वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों की एक टीम यहां बहु-विषयक क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें जैवसामग्री विकास और लक्षण वर्णन से लेकर चिकित्सा उपकरणों के विकास, मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक शामिल हैं। पिछले चार दशकों में, भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास को उत्प्रेरित करते हुए, कई उत्पादों को सफलतापूर्वक विकसित और व्यावसायीकरण किया गया है।

वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ में, आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुरूप इसकी परीक्षण सेवाओं के लिए एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जो परीक्षण परिणामों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को सक्षम बनाती है। यह प्रणाली अब फ्रांस के Le Comite francais d'accreditation (COFRAC) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और प्रकाशनों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मूल्यवान वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के रूप में समकक्ष पहचान बनाई है। इसके परिणामस्वरूप कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम हुए हैं।

अनुसंधान के अवसर और सुविधाएं:

जैवचिकित्सकीय प्रौद्योगिकी स्कंध का उद्देश्य रोगियों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने के लिए क्लिनिकल सेटिंग में प्रयोगशाला के अनुसंधान परिणामों में प्रगति लाना है। परिसर में उपलब्ध कराई गई असाधारण आधारभूत संरचना जैव चिकित्सा अनुसंधान को आधार बनाती है और रोगी की देखभाल में सुधार के लिए अग्रिमों को सक्षम बनाती है। संस्थान ने ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए संसाधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमारी आबादी की नैदानिक जरूरतों के लिए लागत प्रभावी, सुलभ और उत्तरदायी हैं।

सामग्री अनुसंधान समूह ने बायोमेडिकल पॉलिमर के संश्लेषण और लक्षण वर्णन, उनके लक्षण वर्णन और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए सामग्री को अर्हता प्राप्त करने के लिए जैव-अनुकूलता के परीक्षण के लिए अनुसंधान का रिकॉर्ड साबित किया है। इंजीनियरिंग और उपकरण विकास समूह ने महत्वपूर्ण उत्पादों को सफलतापूर्वक विकसित और व्यावसायीकरण किया है जिसमें रक्त बैग, कृत्रिम हृदय वाल्व और ऑक्सीजनेटर शामिल हैं।

प्रमुख कार्यक्रमों में आर्थोपेडिक और दंत चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए सामग्री का विकास, हृदय उपकरण निर्माण, दवा वितरण प्रणाली, नैनो-चिकित्सा, सेंसर और ऊतक इंजीनियरिंग मचान शामिल हैं। जैविक अनुसंधान पुनर्योजी चिकित्सा, इनविट्रो ऊतक इंजीनियरिंग, जैव चिकित्सा विज्ञान और नैदानिक अभिकर्मकों के विकास के लिए संस्कृति और वयस्क स्टेमसेल के भेदभाव पर केंद्रित है।

सामग्री के लक्षण वर्णन के लिए परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रमन और एफटी-रमन स्पेक्ट्रोस्कोप, परमाणु बल माइक्रोस्कोप, आईसीपी, एक्स-रे विवर्तन, माइक्रो कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी सिस्टम जैसे एचपीएलसी, गैस क्रोमैटोग्राफी और शामिल हैं। एलसीएमएस। अन्य नियमित रूप से उपयोग किए

जाने वाले और सुव्यवस्थित उपकरण और सुविधाएं सभी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण जैविक अनुसंधान उपकरण हैं कन्फोकल माइक्रोस्कोप, पर्यावरण एसईएम, ऊतकों की 3डी बायोप्रिंटिंग, 3डी बायोप्रिंटर, फ्लोरोसेंट सक्रिय सेल सॉर्टर (एफएसीएस), रीयल टाइम पीसीआर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और निरंतर प्रवाह सेंट्रीफ्यूज, फ्लोरोसेंस / ल्यूमिनेसेंस / रेडियो आइसोटोप डिटेक्शन के लिए इमेजिंग सिस्टम, लगभग सभी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के अलावा लाइव सेल इमेजिंग, और प्रोटिओमिक और जीनोमिक विश्लेषण आदि की सुविधाएं। लगभग सभी कोशिका जीव विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उत्कृष्ट कोशिका संवर्धन और विश्लेषण सुविधाएं मौजूद हैं।

उत्कृष्ट पशु संचालन कक्षों के साथ अच्छी तरह से बनाए रखा छोटा और बड़ा पशु प्रायोगिक सुविधा इन विवो मूल्यांकन सहायता प्रदान करता है। जीएलपी अनुपालन के तहत सामग्रियों का विषाक्त मूल्यांकन किया जाता है। परिष्कृत नमूना प्रसंस्करण और विश्लेषण उपकरणों के साथ अत्याधुनिक हिस्टोलॉजिकल / इम्यूनोकेमिकल / इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके प्रयोगात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए ऊतक विश्लेषण किया जाता है।

इन सबसे ऊपर, बीएमटी विंग उच्च गुणवत्ता वाले, रोगी-केंद्रित अनुवाद संबंधी अनुसंधान करने के लिए अपने बहु-विषयक अनुसंधान संकाय की शैक्षणिक और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करता है। इसमें प्रयोगशाला से रोगी के बिस्तर तक अनुसंधान करना शामिल है।

अच्युत मेनन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र (एएमसीएचएसएस)

एएमसीएचएसएस, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान स्कंध, स्वास्थ्य देखभाल और विकास के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान के लिए समर्पित है। इसने जनवरी 1997 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर (एमपीएच) कार्यक्रम, 2003 में पीएचडी कार्यक्रम और 2005 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीपीएच) शुरू किया। इसके मिशन के लिए केंद्रीय हैं:

1) छात्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और अभ्यास में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए शिक्षित करना; 2) स्वास्थ्य के सामाजिक, जैविक, आर्थिक और व्यवहारिक आयामों के ज्ञान को आगे बढ़ाना और लागत, लागत-दक्षता, और महामारी विज्ञान के अध्ययन और नीति विश्लेषण करना; और 3) जनता, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर तकनीकी विशेषज्ञता और परामर्श सेवा प्रदान करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार। भारत सरकार ने इस केंद्र को "सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में स्वीकार किया है।

स्वास्थ्य विज्ञान में अंशकालिक और पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम है। पीएचडी कार्यक्रम के लिए अंशकालिक पंजीकरण केवल स्वास्थ्य विज्ञान में उपलब्ध है। किसी अन्य क्षेत्र में पीएचडी कार्यक्रम के लिए कोई बाहरी या अंशकालिक पंजीकरण नहीं है।

पीएचडी कार्यक्रम एससीटीआईएमएसटी के तीनों स्कंधों में आयोजित किया जाता है

पीएचडी कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

उप कुलसचिव
शैक्षणिक कार्य प्रभाग
एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम, केरल-695011, भारत
दूरभाष: 91-471-2524269/289/649/140
फाक्स:91-471-2446433 ईमेल:dreg@sctimst.ac.in वेबसाइट: www.sctimst.ac.in

3. पीजी डिप्लोमा/ डिप्लोमा कार्यक्रम

1. विशेष नर्सिंग कार्यक्रम

सुपर स्पेशियलिटी में सक्षम और प्रशिक्षित नर्सों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संस्थान नर्सिंग में दो विशेष डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है, ये कार्यक्रम हैं:

(i) हृदयवाहिनी और वक्ष नर्सिंग में डिप्लोमा

(ii) तंत्रिका नर्सिंग में डिप्लोमा

कार्यक्रम पंजीकृत नर्सों को उन्नत शिक्षा और नैदानिक अनुभव प्रदान करने के लिए किए गए हैं ताकि उन्हें आउट पेंशेंट, इनपेंशेंट और गहन देखभाल क्षेत्रों सहित संबंधित विशिष्टताओं में कुशल बेडसाइड नर्स के रूप में तैयार किया जा सके और उन्हें कुशल नैदानिक नर्सिंग कर्मियों के रूप में इन क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके।

प्रवेश केलिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

क. जीएनएम या बीएससी नर्सिंग

ख. जीएनएम उम्मीदवारों केलिए जीएनएम पास करने के बाद बेडसाइड नर्स के रूप में एक वर्ष का अनुभव

ग. भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य नर्सिंग परिषद या भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित नर्सिंग बोर्ड द्वारा पेशेवर रूप से एक नर्स के रूप में पंजीकरण।

ऊपरी आयु सीमा

35 वर्ष (1 जनवरी 2021) को, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष प्रायोजित उम्मीदवारों और 5 वर्ष से कम की सेवा के साथ योग्य भूतपूर्व सेवा कर्मियों के लिए छूट।

विशेष नर्सिंग कार्यक्रम का सारांश

कार्यक्रम	सीटों की संख्या	अवधि
हृदयवाहिनी और वक्ष नर्सिंग में डिप्लोमा	10+1	2 साल
तंत्रिका नर्सिंग में डिप्लोमा	10+1	2 साल

आरक्षण

भारत सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण का पालन किया जाएगा।

कार्यक्रम	यूआर	के लिए आरक्षित					कुल
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यू (क्षैतिज आरक्षण)	
हृयवाहिनी और वक्ष नर्सिंग में डिप्लोमा	5	1	1	3	1	1#	10+1
तंत्रिका नर्सिंग में डिप्लोमा	5	1	1	3	1	0	10+1

 # लगातार वर्षों में इन दोनों पाठ्यक्रमों के बीच आरक्षण को घुमाया जाएगा।

वजीफा (प्रति माह रुपये में)(प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर)

कार्यक्रम	अवधि	वेतनमान/प्रति माह आईएनआर में वजीफा
विशेष नर्सिंग डिप्लोमा कार्यक्रम	पहला साल दूसरा साल	11,440# 13,350#
पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रम	पहला साल दूसरा साल	8,580# 10,490#

 # संस्थान के नियमों के अनुसार अभी लागू सूचकांक।

चयन की विधि

संस्थान द्वारा आयोजित हृदयवाहिनी और वक्ष नर्सिंग और तंत्रिका-नर्सिंग के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सख्ती से योग्यता के आधार पर होगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र में विशेषता के अपने पसंदीता विकल्प का संकेत दे सकते हैं। सामान्य प्रवेश परीक्षा संस्थान में आयोजित की जाएगी। सीट की उपलब्धता, वरीयता और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रायोजित उम्मीदवार भी चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, लेकिन अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की एक अलग सूची प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में से एक अलग सूची में डाल दी जाएगी।

वस्तुनिष्ठ प्रकार की एमसीक्यू परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक सभी के लिए 50% होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि बाद में सूचित की जाएगी।

विशेषता नर्सिंग कार्यक्रम के लिए वर्दी

महिला: सफेद चूड़ीदार सेट

पुरुष: काली पैंट, सफेद शॉर्ट

प्रथम वर्ष के दौरान प्रत्येक छात्र को एक नैदानिक नर्सिंग अध्ययन परियोजना शुरू करनी होती है और 31 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट जमा करनी होती है जो कि प्रथम वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए पचासी प्रतिशत (85%) उपस्थिति अनिवार्य है।

टिप्पणी: "विशेष सूचना" देखें (पृष्ठ 32)

2. **हृदयप्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति ने हृदय चिकित्सा पद्धति को विशुद्ध रूप से नैदानिक से प्रयोगशाला-उन्मुख हृदय विज्ञान में बदल दिया है। इसके परिणामस्वरूप नैदानिक और चिकित्सीय दोनों उद्देश्यों के लिए नई खोजी तकनीकों और प्रक्रियाओं का जन्म हुआ है। लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिक अस्पताल हृदयविज्ञान के अभ्यास को अद्यतन करने का प्रयास करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम उन तकनीकी कर्मियों की जरूरतों को पूरा करेगा जिनकी आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग होगी। छात्रों को हृदयविज्ञान और नैदानिक अभियंत्रिकी विभागों से जोड़ा जाएगा।

3. तंत्रिका-प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा

परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटरों के आगमन ने न्यूरोफिज़ियोलॉजी को तेजी से विकसित होने वाली नैदानिक विशेषता बना दिया है। साथ ही, इन मशीनों को बनाए रखने और उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित तकनीशियनों की आवश्यकता एक आवश्यकता बन गई है। एक अत्यधिक विकसित मिर्गी कार्यक्रम वीडियो-ईईजी निगरानी, इंट्राऑपरेटिव इलेक्ट्रो-कॉर्टिकोग्राफी और उत्तेजना और मस्तिष्क मानचित्रण में अनुभव प्रदान करता है। उन्हें अन्य न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल जैसे ईएमसी, एनसीवी, विकसित क्षमता, नींद अध्ययन, आकस्मिक ईईजी से अवगत कराया जाएगा। छात्रों को न्यूरोलॉजी और क्लिनिकल इंजीनियरिंग विभाग से जोड़ा जाएगा।

4. चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में पीजी डिप्लोमा

अस्पताल की नैदानिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड बनाए जाते हैं।मेडिकल रिकॉर्ड एक गोपनीय दस्तावेज है और यह रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार का एक उत्पाद है।

यह शैक्षणिक कार्यक्रम उम्मीदवारों को एक मैनुअल/इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा अभिलेख विभाग को व्यवस्थित और बनाए रखने के लिए संभावित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। छात्रों को चिकित्सा अभिलेख विभाग और अस्पताल प्रशासन के अनुभागों से जोड़ा जाएगा छात्रों को चिकित्सा अभिलेख विभाग और अस्पताल प्रशासन के अनुभागों से जोड़ा जाएगा

5. नैदानिक छिड़काव में पीजी डिप्लोमा

यह पाठ्यक्रम उम्मीदवार को एक प्रवनिवेशन बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अद्वितीय भूमिका के साथ रक्त परिसंचरण विशेषज्ञ है। रक्तहीन क्षेत्र की सुविधा के लिए हृदय और पल्मोनरी सर्कुलेशन को अस्थायी रूप से पारित किया जाता है, जहां सर्जन हृदय के अंदर आवश्यक मरम्मत कर सकता है।

एक प्रवनिवेशन हार्ट-लंग मशीन उपकरण का प्रबंधन करता है जिसके माध्यम से रोगी के शिरापरक रक्त को डायवर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन युक्त किया जाता है और जब हृदय की यांत्रिक क्रिया अस्थायी रूप से बंद हो जाती है तो रोगी को वापस भेज दिया जाता है। प्रवनिवेशन हाइपोथर्मिया, कुल परिसंचरण गिरफ्तारी आदि के लिए भी जिम्मेदार होता है। रोगी को वापस गर्म किया जाता है और हार्ट लंग मशीन को बंद कर दिया जाता है। छात्र प्रवनिवेशन को शल्यचिकित्सा कक्ष में काम करना होता है और उसे सड़न रोकने वाली तकनीकों का पालन करना होता है। उन्हें हार्ट लंग मशीन की स्थापना और संचालन, छिड़काव प्रबंधन और इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप आदि जैसे सहायक उपकरणों में नैदानिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों को सीवीटीएस विभाग से जोड़ा जाएगा।

6. रक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति ने रक्त आधान सेवाओं में क्रांति ला दी है और आधान चिकित्सा में हमारे ज्ञान को बढ़ाया है।

रक्तदान, व्यापक सीरोलॉजिकल और प्रतिरक्षा-हेमटोलॉजिकल तकनीकों, संक्रामक रोगों की जांच, रक्त के इष्टतम उपयोग और रक्त और घटकों के उचित भंडारण के लिए घटकों में रक्त के प्रसंस्करण के दौरान दाताओं की पर्याप्त सुरक्षा के लिए दाताओं के गहन चयन की आवश्यकता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्रों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत पर्याप्त 'हाथ से अनुभव' होगा। प्रशिक्षित कर्मियों की भारी कमी के कारण राज्य में इस विशेषता में प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, छात्र को अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होने और कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुंच का पर्याप्त अवसर मिलेगा। रक्त बैंकों में योग्य कर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छात्रों को लैस करने के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया है। छात्र-छात्राएं आधान चिकित्सा विभाग व अस्पताल प्रशासन के अनुभाग से जोडा जाएगा।

7. शल्यचिकित्सा कक्ष और विसंज्ञन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

आधुनिक शल्य चिकित्सा कक्ष, कैथीटेराइजेशन लैब और रेडियोलॉजिकल सूट में उपयोग किए जाने वाले विसंज्ञन तकनीकों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न प्रगति महान ज्ञान और सीखने का अनुभव है। पाठ्यक्रम को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की सहायता के लिए विसंज्ञन के बुनियादी और उन्नत सिद्धांतों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शल्य चिकित्सा के लिए रोगियों के प्रबंधन में साइनाइडिंग। मरीजों की सुरक्षा काफी हद तक अत्याधुनिक जैवचिकित्सा उपकरणों के विश्वसनीय और सुचारू कामकाज पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य उम्मीदवारों को जैवचिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सा गैस और अस्पताल पाइपलाइन सिस्टम के प्रबंधन में प्रशिक्षित करना भी है। छात्रों को विसंज्ञन विज्ञान और नैदानिक अभियंत्रिकी विभाग से जोड़ा जाएगा।

8. उन्नत चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

चिकित्सा इमेजिंग तकनीक पिछले एक दशक में काफी उन्नत हुई है और नैदानिक अनुप्रयोगों में व्यापक प्रसार का उपयोग किया है। हालांकि, अच्छी तरह से योग्य तकनीकी कर्मियों की कमी हमेशा पूरी क्षमता का दोहन करने में एक समस्या रही है इन तकनीकों के। इस संस्थान में इमेजिंग विज्ञान और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग देश में अपनी तरह के सबसे सुसज्जित विभागों में से एक है।

आउट पेशेंट रेडियोग्राफी, टोमोग्राफी, मायलोग्राफी आदि के लिए पारंपरिक रेडियोलॉजिकल सुविधाओं के अलावा, सीटी स्कैन और डिजिटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी (डीएसए) इकाइयां पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं। अत्याधुनिक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग इकाई और एक पैक्स प्रणाली भी काम कर रही है। छात्रों को इमेजिंग साइंसेज और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और नैदानिक अभियंत्रिकी विभागों से जोड़ा जाएगा।

प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

हृदय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीसीएलटी)

कम से कम 50% के कुल अंकों के साथ प्रमुख या सहायक विषय के रूप में भौतिकी के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री।

तंत्रिका प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएनटी)

बीएससी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 50% के कुल अंकों के साथ।

चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएमआरएस)

कम से कम 50% के कुल अंकों के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री।

नैदानिक छिड़काव में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीसीपी)

भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के मुख्य या सहायक विषय के रूप में जीवविज्ञान में बीएससी की डिग्री। कम से कम 50% अंकों का कुल योग आवश्यक है।

रक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीबीटी)

इन विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैविक विज्ञान की किसी भी शाखा में बीएससी।

शल्य चिकित्सा कक्ष और विसंज्ञन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीओटीएटी)

एक अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स / जैवचिकित्सा प्रौद्योगिकी/ इंस्ट्रुमेंटेशन में डिप्लोमा।

उन्नत चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएएमआईटी)

कम से कम 50% के कुल अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफिक असिस्टेंस (सीआरए) / डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी (डीआरटी) 2 साल का पाठ्यक्रम या समकक्ष या उच्च योग्यता में प्रमाणपत्र।

ऊपरी आयु सीमा

25 वर्ष (1 जनवरी 2022 को) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट।

भारत सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण का पालन किया जाएगा।

कार्यक्रम	यूआर	के लिए आरक्षण				कुल
		एससी/एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यू (क्षैतिज आरक्षण)	
डीएएमआईटी	2	0	1*	-	1#	**3+1#**
डीओटीएटी	1	1*	0	-		**2**
पीजीडीबीबीटी	1	0	1*	1#	-	**2+1#**
पीजीडीसीएलटी	2	1*	0	1#	-	**3+1#**
पीजीडीसीपी	1	0	1*	-	-	**2**
पीजीडीएमआरएस	1	1*	0	-	-	**2**
पीजीडीएनटी	**2**	**1***	**1***	**-**	**-**	**4**

(*) – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लगातार वर्षों में पाठ्यक्रमों में बदल जाएगा।

(#)– ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण पाठ्यक्रमों के बीच घूर्णी आधार पर होगा.

चयन की विधि

चयन प्रवेश परीक्षा (**एमसीक्यू आधारित परीक्षा और संस्थान द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षा**) में **प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यता** के आधार पर होगा। **प्रायोजित उम्मीदवार भी चयन की प्रक्रिया से गुजरेंगे लेकिन दो श्रेणियों** (सामान्य और प्रायोजित कोटा) के लिए एक अलग रैंक सूची तैयार की जाएगी।

90 मिनट की अवधि (100 प्रश्न) **की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में न्यूनतम** उत्तीर्ण अंक सभी के लिए 50% होंगे। **लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार** के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार, **सरकारी एजेंसियों या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित होने** पर उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति **के उम्मीदवारों को अर्हक** परीक्षाओं में केवल 50% **सुरक्षित करने की आवश्यकता** है।

टिप्पणी: पृष्ठ 32 पर "विशेष सूचना" देखें

आवेदन प्रक्रिया और **महत्वपूर्ण तिथि** के लिए कृपया पृष्ठ **5** देखें।

पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रमों का सारांश

उपलब्ध कार्यक्रम	सीटों	अवधि (वर्ष)	योग्यता
हृदय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा	3	2	बीएससी भौतिकी **प्रमुख या सहायक** के साथ 50% कुल
तंत्रिका प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा	4	2	बीएससी भौतिकी, **रसायन विज्ञान**, जैविक विज्ञान, **जैव प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान** में 50% कुल
चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में पीजी डिप्लोमा	2	2	50% कुल के साथ बीएससी
नैदानिक छिड़काव में पीजी डिप्लोमा	2	2	**मुख्य या सहायक के रूप में** बीएससी जीवविज्ञान में 50% सकल
रक्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा	2	2	**जैविक विज्ञान की किसी भी शाखा** में बीएससी, कुल 50%
शल्य चिकित्सा कक्ष और विसंज्ञन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	2	2	इलेक्ट्रॉनिक्स/**बायोमेडिकल इंजीनियरिंग**/इंस्ट्रुमेंटेशन में डिप्लोमा
उन्नत चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	3	2	सीआरए/डीआरटी **2 साल का कोर्स** या समकक्ष या उच्चतर 50% कुल

छात्रावास आवास

चयनित उम्मीदवारों (प्रायोजित को छोड़कर) को नियम और उपलब्धता के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा। एक बार आवंटित होने के बाद वरिष्ठ निवासी के लिए पीजी क्वार्टर्स/छात्रावास, जैसा भी मामला हो, उसमें रहना अनिवार्य है। एक बार पात्र आवास आवंटित हो जाने के बाद, चाहे वे आवंटित आवास पर कब्जा करते हों या नहीं, किसी भी रहने वालों को कोई एचआरए का भुगतान नहीं किया जाएगा। बिजली और पानी के शुल्क समानुपातिक रूप से कैदियों से वसूल किए जा सकते हैं यदि वे सिंगल/डबल/शेयरिंग/पारिवारिक आवास में हैं।

अध्ययन विषयवस्तु

प्रशिक्षण सख्ती से पूर्णकालिक और निरंतर है। प्रवेश के समय उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और परीक्षा योजना को कवर करने वाली एक पुस्तिका प्रदान की जाएगी। उन्हें जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से परिचित होना चाहिए। उन्हें संस्थान के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

अनुबंध सेवा

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चुने गए सभी छात्रों और वरिष्ठ निवासियों को कार्यक्रम की लंबाई के आधार पर एक अवधि के लिए सेवा के बंधन को निष्पादित करना आवश्यक है। चयन पत्र में निर्धारित तिथि तक अनुबंध बांड में शामिल होने या जमा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के लंबित रहने के दौरान किसी भी रूप में निजी प्रैक्टिस सख्त वर्जित है।

निष्पादित होने के लिए बांड

• पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो (पीडीएफ) से संस्थान को ₹ 50,00,000 (पचास लाख रुपये) की राशि भेजने के लिए एक बांड निष्पादित करने की उम्मीद की जाती है यदि निवासी अगले दिन से या कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार्यक्रम छोड़ने का फैसला करते हैं।

• सभी नव नामांकित डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे कार्यक्रम को बंद कर देते हैं और 31 जनवरी 2022 के बाद संस्थान छोड़ देते हैं, तो उन्हें छह महीने के वजीफे के बराबर राशि भेजने के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

छात्रों और वरिष्ठ निवासियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी और इसमें ऐसे नैदानिक कार्य शामिल होंगे जो रोगी की देखभाल और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

चयन तब तक अनंतिम होगा जब तक कि संस्थान द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित नहीं किया जाता है। उम्मीदवार को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी बीमारियों की घोषणा करनी चाहिए और यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह जिस कठोर कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए वह फिट है। मेडिकल बोर्ड की राय अंतिम होगी।

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

सत्र 1 जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है। चयनित उम्मीदवार इस तिथि को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करेंगे, जिसका सत्यापन प्रवेश की पुष्टि के लिए अनिवार्य है।

वरिष्ठ निवासियों और छात्रों का मूल्यांकन प्रवेश के बाद छह महीने के अंत में उनकी शैक्षणिक क्षमता, प्रशिक्षण की इच्छा, योग्यता का अधिग्रहण, रोगी देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध और जल्द ही किया जाएगा। कम अंक वालों को अगले तीन महीनों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और असंतोषजनक पाए जाने पर, एससीटीआईएमएसटी में उम्मीदवार का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

मूल्यांकन

स्पेशलिटी नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए पहले वर्ष के अंत में आंतरिक मूल्यांकन और स्पेशलिटी नर्सिंग और अन्य डिप्लोमा / पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए दूसरे वर्ष के अंत में बाहरी परीक्षा।

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कार्यक्रम के अंतिम कार्य दिवस पर सामान्यत: 31 दिसंबर को उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के विवरण के लिए कृपया पाठ्यक्रम देखें।

<u>अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:</u>

कुलसचिव

एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम

केरल-695011, भारत, दूरभाष: 91-471-2524269/289/649/150

फाक्स:91-471-2446433

ईमेल:reg@sctimst.ac.in वेबसाइट: www.sctimst.ac.in

प्रायोजित उम्मीदवार (सभी कार्यक्रमों के लिए)

उम्मीदवारों को "प्रायोजित" के रूप में तभी माना जाएगा जब उन्हें सरकार, सरकारी एजेंसियों या विश्वविद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाएगा।

प्रायोजित उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा और अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जमा करना होगा। प्रवेश के समय वित्तीय सहायता के साथ प्रायोजन शर्तों के संबंध में सरकारी आदेश प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रायोजन की पात्रता के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

1. एससीटीआईएमएसटी के सभी कार्यक्रमों में प्रायोजित सीटें उपलब्ध हैं।

2. प्रवेश पाने के इच्छुक सभी पात्र प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा और सभी के लिए परिकल्पित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

3. प्रायोजित उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के बाद से अलग से माना जाएगा। प्रायोजित उम्मीदवारों के परिणाम अलग से चयनित/प्रतीक्षा सूची के रूप में घोषित किए जाएंगे।

4. प्रायोजित से सामान्य कोटा और इसके विपरीत में रूपांतरण संभव नहीं है।

5. यदि ऐसी परिस्थितियों में सीट सामान्य कोटे के तहत खाली हो जाती है, तो सीट सामान्य कोटे से ही प्रतीक्षा सूची में आवंटित की जाएगी।

6. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रायोजित उम्मीदवारों की संख्या सामान्य कोटे की सीटों की संख्या के 50% से अधिक नहीं होगी, हालांकि, किसी भी विभाग में यदि सीटों की संख्या केवल एक है तो प्रायोजित श्रेणी के तहत एक और सीटों की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि उम्मीदवार प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए सभी अनिवार्य मानदंडों को पूरा करते हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों को प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है यदि उनकी सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)/भारत सरकार के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र पाए जाते हैं।

प्रायोजित उम्मीदवारों को किसी अन्य प्रकार की वरीयता नहीं दी जाएगी।

प्रायोजित उम्मीदवार राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए सात दिनों के अवकाश के लिए पात्र हैं। वे संस्थान से वजीफा/वेतन, आवास, एचआरए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा अनुदान, टीए/डीए और सम्मेलनों के लिए पंजीकरण शुल्क आदि के लिए पात्र नहीं हैं।

विदेशी नागरिक (सभी कार्यक्रमों के लिए)

संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी नागरिकों को स्वीकार करता है लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है [भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र पाए जाने वाले देश की उनकी सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित होने की आवश्यकता है]। चयन प्रवेश परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होगा। उन्हें प्रायोजित उम्मीदवार माना जाएगा और प्रवेश प्रक्रिया "प्रायोजित श्रेणी" के तहत दिए गए मानदंड के अनुसार होगी।

विदेशी नागरिकों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्र एससीटीआईएमएसटी में पाठ्यक्रम अवधि के दौरान चिकित्सा उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी लें। उक्त बीमा पॉलिसी की एक प्रति अंतिम प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रवेश के समय त्रावणकोर-कोचिन मेडिकल काउंसिल (टीसीएमसी) में विदेशी चिकित्सा डिग्री का पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

शुल्क संरचना

ब्यौरे	पोस्ट डॉक्टरल	पीएचडी	पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा
आवेदन शुल्क	₹ 2000 (₹ 1600*)	₹ 1,500(₹ 1200*)	₹ 800 (₹ 640*)
प्रवेश शुल्क	₹ 2,000	₹ 2,000	₹ 500
शिक्षा शुल्क	₹ 58,000(प्रति वर्ष)	₹ 20,000 (प्रति वर्ष) ₹ 40,000(असाधारण विस्तार)	₹ 7,500 प्रति वर्ष
सावधानी जमा	₹ 10,000	₹10,000	₹ 10,000
परीक्षा शुल्क: भाग-I	₹ 2,000	-	₹ 250
भाग-II	₹ 10,000		
व्यापक परीक्षा		₹ 6,000	
शोध मूल्यांकन शुल्क	₹ 1500	₹ 15,000	
पहचान कार्ड	₹ 220	₹ 220	₹ 220
पुस्तकालय	₹ 1,000	₹ 1000	₹ 200
छात्र कल्याण कोष	₹ 1,000	₹ 1000	₹ 200
प्रमाणपत्र	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 200
विविध शूल्क	₹ 10,000		₹ 5,000

*केवल एससी/एसटी छात्रों के लिए लागू

संस्थान द्वारा हर साल शुल्क में संशोधन किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

छात्र/निवासी को हटाने की गारंटी देने वाले अधिनियम

छात्र/निवासी की सेवाएं निम्नानुसार समाप्त की जा सकती हैं:

क. संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि संस्थान के निदेशक चिकित्सा साक्ष्य पर संतुष्ट हैं कि छात्र अनुपयुक्त है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अस्वस्थता के कारण काफी समय तक अनुपयुक्त रहने की संभावना है बशर्ते कि निदेशक का यह निर्णय कि छात्र अनफिट है और उसके अनफिट बने रहने की संभावना है, निर्णायक और उसके लिए बाध्यकारी होगा।

ख. संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि छात्र किसी भी अवज्ञा, हस्तक्षेप या अन्य कदाचार या समझौते के किसी भी प्रावधान, या संस्थान से संबंधित किसी भी नियम के किसी भी उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन का दोषी होगा, तो हमेशा प्रदान किया जाता है इस संबंध में संस्थान के निदेशक का निर्णय निर्णायक और उनके लिए बाध्यकारी होगा।

ग. एससीटीआईएमएसटी में कार्यक्रम के दौरान असंतोषजनक अनुशासनात्मक आचरण।

घ. एससीटीआईएमएसटी में प्रवेश के लिए जानबूझकर गलत/नकली विवरण प्रस्तुत करना।

ड निदेशक एससीटीआईएमएसटी का निर्णय अंतिम होगा कि क्या कोई छात्र उपरोक्त शर्त क या ख के दायरे में आता है।

4. एससीटीआईएमएसटी, आईआईटी मद्रास और सीएमसी वेल्लूर के संयुक्त कार्यक्रम

1. **एमटेक (नैदानिक अभियंत्रिकी),**
2. **पीएचडी (जैवचिकित्सकीय उपकरण एवं प्रौद्योगिकी)**

परिचय

पिछले पांच दशकों में, स्वास्थ्य देखभाल वितरण तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित हो गया है-अस्पतालों में रोगियों का निदान, उपचार और पुनर्वास, या नई दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों का विकास। आज भारत अपने देश में उपयोग किए जाने वाले लगभग 80% प्रत्यारोपण और उपकरणों का आयात करता है। नतीजतन, स्वास्थ्य देखभाल की लागत अधिक है और वृद्धि जारी है। इस समस्या से निपटने के लिए दोहरी रणनीति की जरूरत है। सबसे पहले, बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। दूसरे, स्वास्थ्य देखभाल वितरण बिंदुओं-अर्थात मुख्य रूप से अस्पतालों में प्रौद्योगिकी के कुशल और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना आवश्यक है। तीन संस्थान - आईआईटी मद्रास, सीएमसी वेल्लूर, और एससीटीआईएमएसटी त्रिवेंद्रम, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय ताकत और सुविधाओं का एक सेट है, दो कार्यक्रमों को शुरू करने में एक साथ शामिल हुए हैं- "नैदानिक अभियंत्रिकी में एमटेक" और "जैवचिकित्सकीय उपकरण एवं प्रौद्योगिकी में पीएचडी" को संबोधित करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए क्षमता निर्माण का मुद्दा। इन पाठ्यक्रमों की एक अनूठी विशेषता नैदानिक वातावरण के अधिकतम जोखिम के साथ नैदानिक लगाव है। यह सुनिश्चित करता है कि, पाठ्यक्रम के अंत में, छात्र अस्पताल में चिकित्सकों, और अन्य चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारी के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम होंगे, जिसके परिणामस्वरूप 'अपूर्ण नैदानिक आवश्यकताओं' की पहचान होगी। यह भी उम्मीद है कि आगे के अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा जिससे अभिनव स्वदेशी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अग्रणी हो।

प्रवेश

(1) **एमटेक (नैदानिक अभियंत्रिकी)**

उद्देश्य: अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल वितरण सेटिंग्स में प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को प्रबंधित करने और सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना।

अवधि: दो साल (तीनों संस्थानों के माध्यम से रोटेशन)।

योग्यता: गेट विषय (एई, सीई, सीएच, ईसी, ईई, आईएन, एमई, एमएन, एमटी, पीआई, टीएफ, एक्सई) और स्कोर के आधार पर बीई / बीटेक ने चार साल के पाठ्यक्रम को मान्यता दी।

चयन: स्क्रीनिंग टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार आईआईटी, मद्रास द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) **पीएचडी (जैवचिकित्सकीय उपकरण एवं प्रौद्योगिकी)**

उद्देश्य: ऐसे नेताओं का निर्माण करना जो निम्नलिखित में योगदान कर सकें: (क) उद्योगों, आर और डी प्रयोगशालाओं, अस्पतालों आदि की तत्काल विशिष्ट आवश्यकताओं, (ख) जैवचिकित्सकीय उपकरणों और प्रौद्योगिकी में नवप्रवर्तक और उद्यमी बनने के लिए।

अवधि: आईआईटी मद्रास की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार

पात्रता: आईआईटीएम पीएचडी प्रवेश / एमएससी भौतिकी के लिए समान पात्रता शर्तें।

चयन: स्क्रीनिंग परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित किया जाएगा।

छात्रावास: तीनों संस्थानों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हैं।

वजीफा: आईआईटी मद्रास के मानदंडों के अनुसार

शुल्क संरचना: (बीएमटी स्कंध, एससीटीआईएमएसटी में अपेक्षित अवधि के लिए भुगतान किया जाना है):

एससीटीआईएमएसटी में संयुक्त कार्यक्रम-एमटेक(सीई) के लिए शुल्क।

क्रम सं.	शुल्क और जमा की वस्तुएं	शुल्क(रुपये में)
क.	एक बार की शुल्क	
1.	प्रवेश शुल्क	1000
2.	पंजीकरण नामांकन शुल्क	300
3.	सावधानी जमा(लौटाया जाने योग्य प्रतिदेय)	10,000
4.	प्रमाणपत्र शुल्क	1000
5.	छात्र कल्याण कोष	500
6.	पहचान कार्ड	220
7.	चिकित्सा परीक्षा शुल्क	100
	कुल **लौटाया जाने योग्य प्रतिदेय**	**13120** **10000**
ख.	**सेमस्टर शुल्क**	
1.	शिक्षा शुल्क*	5000
2.	परीक्षा शुल्क	300
3.	पुस्तकालय और इन्टरनेट	500
	कुल	**5800**
ग.	**छात्रावास शुल्क**	
1.	छात्रावास प्रवेश शुल्क	250
2.	छात्रावास कमरे का किराया (1500 x6)	9000
3.	छात्रावास सावधानी जमा(लौटाया जाने योग्य प्रतिदेय)	1000
	कुल **लौटाया जाने योग्य प्रतिदेय**	**10250** **1000**

*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/विद्वानों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी से तहसीलदार के पद से नीचे का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाए।

पीएचडी संयुक्त कार्यक्रम के लिए शुल्क (जैव चिकित्सा उपकरण और प्रौद्योगिकी)

बीएमटी स्कंध में आवश्यक अवधि के लिए एससीटीआईएमएसटी के नियमित पीएचडी कार्यक्रम का समान शुल्क (कृपया पृष्ठ 27 में शुल्क संरचना देखें)।

समन्वयकों:

एससीटीआईएमएसटी: **डॉ रॉय जोसफ**
वैज्ञानिक-जी,
चिकित्सा उपकरण अभियंत्रिकी, एससीटीआईएमएसटी, पूजप्पुरा,
त्रिवेन्द्रम- 695012,
केरल राज्य।
दूरभाष: 0471-2520275, ईमेल: rjoseph@sctimst.ac.in

आईआईटी मद्रास: **प्रोफ. अरुण के तिट्टाई**
प्राचार्य
एप्लाइड मैकेनिक्स विभाग(जैवचिकित्सा समूह)
एमएसबी 232 ए
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
चेन्नाई, तमिल नाडु- 600036
दूरभाष- (91)-44- 2257 4053
ईमेल: akthittai@iitm.ac.in

सीएमसी वेल्लूर : प्रोफ. शिवकुमार बालसुब्रमण्यन
प्रधान,जैवअभियंत्रिकी विभाग
क्रिस्त्यन मेडिल कॉलज
बगायाम, वेल्लूर -632002
दूरभाष: 0416-228 5098
ईमेल: siva82kb@cmcvellore.ac.in

आवेदन पत्र/सीटों की संख्या /पाठ्यक्रम शुल्क आदि केलिए कृपया आईआईटी, मद्रास, चेन्नाई का वेबसाईट देखें (www.biotech.iitm.ac.in)।

अधिक पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें:

उप कुलसचिव
शैक्षणिक कार्य प्रभाग
एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम,
केरल-695011, भारत
दूरभाष: 91-471-2524269/289/649/140
फाक्स:91-471-2446433 ईमेल:dreg@sctimst.ac.in वेबसाइट: www.sctimst.ac.in

एससीटीआईएमएसटी के संबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1) राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई

राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई), आईसीएमआर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, चेन्नई, जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तहत एक संस्थान है, एससीटीआईएमएसटी के संबद्ध कार्यक्रम के तहत **सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर (महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य प्रणाली)** की पेशकश कर रहा है। कार्यक्रम हर साल 1 जुलाई से शुरू होते हैं। कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है। कार्यक्रम को **"लर्निंग बाय डूइंग"** मॉडल पर संरचित किया गया है जिसमें एनआईई में 13 महीनों में चार संपर्क सत्र शामिल हैं और 11 महीने की अवधि (कुल 24 महीने की अवधि) के तीन फील्ड पोस्टिंग के साथ हैं।

पात्रता

निम्नलिखित मानदंड वाले आवेदक कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे:

- भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री।
- एमबीबीएस के बाद जन स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में तीन साल का अनुभव।
- पाठ्यक्रम शुरू होने की तिथि के अनुसार 45 वर्ष तक की आयु

(1 जुलाई हर साल)

चयन की विधि: कृपया एनआईई, चेन्नई की सूचना विवरणिका देखें

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:	
निदेशक राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (एनआईई) आर-127,TNHB, अयप्पक्कम, चेन्नई - 600 077, तमिलनाडु, दूरभाष:+91-44-26136420, फाक्स:+91-44-26820464/26136426 ईमेल:directorne@dataone.in;nieicmr@gmail.com वेबसाइट: www.nie.gov.in	उप कुलसचिव शैक्षणिक कार्य प्रभाग एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम केरल -695011 दूरभाष:+91-471-2524269/289/140Fax:+01-471-2446443 ईमेल: dreg@sctimst.ac.in, वेबसाइट :www.sctimst.ac.in

1) क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लूर

एससीटीआईएमएसटी के निम्नलिखित संबद्ध कार्यक्रम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर में पेश किए जाते हैं।

(I) विज्ञान में मास्टर (एमएस) जैव अभियंत्रिकी

(II) जैव अभियंत्रिकी/जैवचिकित्सा विज्ञान में पीएचडी

(III) सार्वजनिक स्वास्थ्य के मास्टर

पात्रता

I) एमएस जैव अभियंत्रिकी आवेदकों के पास होना चाहिए:

क) अभियंत्रिकी में स्नातक की डिग्री, अधिमानतः इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या समकक्ष।

ख) एक क्वालिफाइंग गेट स्कोर आवश्यक है।

II) क) जैव अभियंत्रिकी आवेदकों में पीएचडी होना चाहिए:

i. **अभियंत्रिकी में स्नातक की डिग्री, अधिमानतः इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या समकक्ष और इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री अधिमानतः जैव अभियंत्रिकी, जैव चिकित्सा अभियंत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या समकक्ष।**

ii. **एक क्वालीफाइंग गेट स्कोर आवश्यक है**

iii. **कॉलेज स्तर के जीव विज्ञान या जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए कुछ जोखिम**

ख) जैवचिकित्सा विज्ञान में पीएचडी आवेदकों के पास होना चाहिए:

एमएससी जीवन विज्ञान, एमएससी फिजियोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जीवविज्ञान या जीव विज्ञान की कोई अन्य शाखा

प्रवेश:

इन दो कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमतौर पर फरवरी में सीएमसी, वेल्लूर में विज्ञापित किया जाता है, और उम्मीदवारों को अप्रैल के अंत से पहले आवेदन करना होगा। उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए शॉर्ट-लिस्टेड उम्मीदवारों का साक्षात्कार जून में बुलाया जाएगा। अवधि जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है।

कार्यक्रम की अवधि:

एमएस जैव अभियंत्रिकी - 2 साल

जैव अभियंत्रिकी/जैवचिकित्सा विज्ञान में पीएचडी- आम तौर पर 3 साल, 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पीएचडी जैवचिकित्सा विज्ञान को छात्रों के लिए पीएचडी मैनुअल (सामान्य) / प्रवेश अधिसूचना / एसओपी में निर्दिष्ट नियमों / विनियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य के मास्टर

कौन आवेदन कर सकता है: मेडिकल स्नातक (एमबीबीएस), दंत स्नातक (बीडीएस), आयुष स्नातक (बीएएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएचएमएस), बीटेक और बीई (कोई भी शाखा) और पशु चिकित्सा / नर्सिंग विज्ञान में चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम के स्नातक, स्नातक फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, या स्टैटिस्टिक्स / बायोस्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, मैनेजमेंट या लॉ में स्नातकोत्तर डिग्री वाले छात्र। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में कार्य अनुभव वांछनीय है।

अवधि: 2 वर्ष

कोर कोर्स विषयों को पहले वर्ष (60 क्रेडिट) में पढ़ाया जाएगा। शिक्षण विधियों में उपदेशात्मक व्याख्यान, असाइनमेंट, अभ्यास, डेटा संग्रह के लिए सामुदायिक कार्य, विश्लेषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य / प्रशासनिक सुविधाओं का दौरा शामिल होगा।

सीएमसी वेल्लूर में आवेदन करें और चयन परीक्षा/साक्षात्कार वहां आयोजित किया जाएगा।

प्रवेश और अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:	
जैव अभियंत्रिकी में एमएस और पीएचडी के लिए: प्रो. शिवकुमार बालसुब्रमण्यम प्रमुख, जैव अभियंत्रिकी विभाग **क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बगयम**, वेल्लूर -632002 दूरभाष:0416-228 5098 ई-मेल:siva82kb@cmcvellore.ac.in	**एमपीएच कार्यक्रम के लिए:** प्रो. विनोद अब्राहम प्रमुख, विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर ई-मेल:chad@cmcvellore.ac.in
उप कुलसचिव शैक्षणिक कार्य प्रभाग एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम, केरल-695011 दूरभाष: 91-471-2524269/289/649/140 फाक्स:91-471-2446433 ईमेल:dreg@sctimst.ac.in वेबसाइट: www.sctimst.ac.in	

1) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल (आईआईटीएमके)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल (आईआईटीएमके) केरल सरकार द्वारा वर्ष **2000** में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। आईआईटीएमके एक बहु-विषयक स्नातकोत्तर संस्थान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उन्नत स्तरों पर क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप है, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में बहुत जोर देने के साथ उच्च ज्ञान के लिए छात्रों के सपनों को साकार करते हैं त्रिवेंद्रम में टेक्नोपार्क परिसर में स्थित, आईआईटीएमके में एक जीवंत शैक्षणिक माहौल है। आईआईटीएमके एससीटीआईएमएसटी के संबद्ध कार्यक्रमों के तहत पीएचडी कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है।

पीएचडी कार्यक्रम: मेडिकल इमेज कंप्यूटिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग ग्रुप (**https://www.iiitmk.ac.in/MedImagCompLab/), IIITMK;** निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में: मेडिका लिमेजिंग सिस्टम और प्रौद्योगिकी, एमआरआई में सिग्नल प्रोसेसिंग, मेडिकल इमेज रिकंस्ट्रक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

पात्रता

स्नातक और स्नातकोत्तर में 60 अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/संचार अभियंत्रिकी/जैवप्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ अभियंत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री(एमटेक और समकक्ष) (सीजीपीए 10 में 6.5)।

चयन करने का मापदंड**:** चयन पीएचडी कार्यक्रम के लिए ऊपर उल्लिखित एससीटीआईएमएसटी के समान है।

अधिक जानकारी केलिए संपर्क करें:	
कुलसचिव आईआईआईटीएम-केरल, आईआईआईटीएम-के बिलडिंग, टेक्नोपार्क कैंपस, त्रिवेन्द्रम केरल 695581 भारत +914712784100 ईमेल:registrar@iiitmk.ac.in	उप कुलसचिव शैक्षणिक कार्य प्रभाग एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम केरल-695011 दूरभाष:+91-471-2524269/289/140 फाक्स :+01-471-2446443 ईमेल: dreg@sctimst.ac.in, वेबसाईट:www.sctimst.ac.in

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जाना है। (**Website: www.sctimst.ac.in**)।

सभी बैंक शुल्क आवेदक द्वारा वहन किए जाने हैं।

आवेदन शुल्क (रुपये में)

पोस्ट डॉक्टरल अधिछात्रवृत्ति(पीडीएफ)	₹2000	(₹1600 एससी/एसटी उम्मीदवारों केलिए)
पीएचडी	₹1500	(₹1200 एससी/एसटी उम्मीदवारों केलिए)
डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा/उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	₹800	(₹640 एससी/एसटी उम्मीदवारों केलिए)

आयु, आवश्यक योग्यता, चिकित्सा/नर्सिंग काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए पात्र होने पर जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण, यदि नियोजित हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र की मूल और स्वयं प्रमाणित प्रतियों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित ऑनलाइन जेनरेट किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रवेश के समय शुल्क भुगतान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है।

निर्देश

1. आवेदन पत्र भरने से पहले वेबसाइट में उपलब्ध निर्देशों को पढ़ें।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यान से भरें।
3. यदि आप किसी राज्य या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले नियोक्ता से आनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ एनओसी अपलोड नहीं होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. प्रवेश परीक्षा के लिए नहीं बुलाए गए या चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं भेजी जाएगा और इस विषय पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. समय समय पर लिए गए संस्थान के निर्णयों के अनुसार नियम परिवर्तन के अधीन हैं।
6. सभी पत्राचार पंजीकृत ईमेल/मोबाइल नम्बर के माध्यम से होंगे।

ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची देखें।

1. फोटोग्राफ (सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट आकार)
2. उम्र साबित करने के लिए दस्तावेज
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी (नॉन-क्रिमी लेयर) के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए राजस्व अधिकारियों को तहसीलदार (भारत सरकार के पालतू मानदंडों के रूप में मान्य) के पद से कम नहीं है।
4. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को संलग्नक में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. "नियोजित उम्मीदवारों के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र"।
6. शैक्षणिक योग्यता, अंक, उपलब्धियां और अनुभव को साबित करने के लिए प्रमाण पत्र।
7. पंजीकरण प्रमाण पत्र: चिकित्सा(एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डीएनबी)/नर्सिंग।
8. उम्मीदवार को संबंधित कॉलेजों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि विभाग/पाठ्यक्रम एमसीआई या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है (केवल पोस्टडॉक्टरल पाठ्यक्रमों के लिए लागू)।

टिप्पणी: पीडीएफ कार्यक्रमों के मामले में, जिन्होंने साक्षात्कार के समय डीएम और एमसीएच/समकक्ष पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, वे शामिल होने के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

हॉल टिकट/कॉल लेटर

प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा की निर्धारित तिथि से दस दिन पहले एससीटीआईएमएसटी की वेबसाइट www.sctimst.ac.in से हॉल टिकट/कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट के संबंध में सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।

प्रवेश परीक्षा के लिए स्थान : तिरुवनन्दपुरम

रैगिंग विरोधी शपथ पत्र

संस्थान में सभी रूपों में रैगिंग प्रतिबंधित है

संस्थान में प्रवेश के समय सभी उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र के रूप में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की रैगिंग में शामिल नहीं होगा और यदि रैगिंग पाया जाता है, तो संस्थान गलती करने वाले छात्रों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।

रैगिंग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह निम्नानुसार है:

"भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, सरकार ने संस्थान के परिसर के अंदर और बाहर किसी भी रूप में रैगिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और संस्थान के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की रैगिंग की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्प किया है। जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शैक्षणिक संस्थान के भीतर या बाहर रैगिंग में भाग लेता है या उकसाता है, उसे संस्थान से निलंबित या निष्कासित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो रुपये 10,000/- तक हो सकता है। सजा में कक्षाओं में भाग लेने से, प्रवेश निलंबन को रद्द करना, फेलोशिप/छात्रावृत्ति और अन्य वित्तीय लाभों को रोकना/वापस लेना, परिणाम को रोकना या रद्द करना शामिल हो सकता है। निर्णय संस्थान के प्रधान द्वारा लिया जाएगा"।

रैगिंग का निषेध और दंड:

1. संस्थान के परिसर में और एससीटीआईएमएसटी के किसी भी भाग में और एससीटीआईएमएसटी के बाहर किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है।
2. इस नियम के प्रयोजन के लिए रेगिंग का अर्थ साधारणतया किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य, आचरण या व्यवहार या कोई सामूहिक कार्य है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों/निवासियों की प्रमूख शक्ति या स्थिति लाई जाती है।

नए नामांकित छात्रों/निवासियों या ऐसे छात्रों/निवासियों को सहन करना, जिन्हें किसी भी तरह से अन्य छात्रों/निवासियों द्वारा कनिष्ठ या निम्न माना जाता है;

i) शारीरिक हमला या धमकी या शारीरिक बल का प्रयोग शामिल है।
ii) छात्राओं की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।
iii) स्थिति का उल्लंघन करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों/निवासियों की गरिमा और सम्मान।

iv) छात्र/निवासी का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्म-सम्मान को प्रभावित करना।
v) मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अभद्र हावभाव और अशलील व्यवहार को शामिल करें।

3) एससीटीआईएमएसटी के संकायाध्यक्ष, सह संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, छात्रावास वार्डन और विभागाध्यक्ष रैगिंग की किसी भी घटना की जांच कर सकते हैं और निदेशक को रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसमें शामिल लोगों की पहचान और घटना की प्रकृति क्या है। एससीटीआईएमएसटी के निदेशक रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इस मामले से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष और संबंधित सुनवाई और निवारण के लिए निडर होकर छात्र शिकायत और निवारण समिति/ रैगिंग-विरोधी समिति/सह संकायाध्यक्ष(संकाय एवं छात्र कार्य)/ एससीटीआईएमएसटी के शैक्षणिक कार्य प्रभाग से संपर्क कर सकता है।

श्रेणियों की परिभाषा

अनारक्षित (यूआर) उम्मीदवार: भारत के विदेशी नागरिक सहित सभी आवेदकों के लिए अनारक्षित स्टैंड

अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रिमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल) उम्मीदवार:

ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के अंतर्गत भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित ओबीसी की केंद्रीय सूची में उल्लिखित जातियों पर ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा परिभाषित नॉन-क्रीमी लेयर की शर्त को भी पूरा करना चाहिए। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार को संलग्नक- I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हाल ही में जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र (मूल) निर्दिष्ट रिपोर्टिंग पर सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केंद्र, विफल होने पर ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी) के उम्मीदवार

सरकारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को एक राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। दस्तावेजों (मूल रूप में) को निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों पर सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एसटी वर्ग के तहत रिक्त रहने वाली सीटें एससी उम्मीदवारों को आवंटित की जाएंगी और इसके विपरीत।

विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवार:

एमपीएच, डीपीएच और डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा, जिन्हें कम से कम 40% शारीरिक अक्षमता है। इस श्रेणी के तहत लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा के समय एक जिला मेडिकल बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रति के साथ मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर पीडब्ल्यूडी श्रेणी में उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार:

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे संलग्नक-II में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रमाण पत्र (मूल और एक प्रति में) निर्दिष्ट रिपोर्टिंग केंद्रों पर सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण संपर्क पते

पद	नाम	दूरभाष सं.	ईमेल-आईडी
निदेशक-प्रभारी	डॉ अजित कुमार वी.के.	91-471-2524400	director@sctimst.ac.in
प्रधान-बीएमटी स्कंध	डॉ हरिकृष्ण वर्मा पी.आर.	91-471-2520201	headbmtw@sctimst.ac.in
संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक कार्य)-प्रभारी	डॉ केशवदास सी.	91-471-2524500	dean@sctimst.ac.in
प्रधान एएमसीएचएसएस	डॉ शंकरा शर्मा पी.	91-471-2524232	sarma@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (पीएचडी कार्यक्रम)	डॉ मोहनन पी.वी.	91-471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ)	डॉ हरिकृष्णन एस.	91-471-2524457	drhari@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (संकाय एवं छात्र कार्य)	डॉ शैलजा पी एन.	91-471-2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन)	डॉ श्रीन्वासन के.	91-471-2524243	ksrini@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (पाठ्यक्रम & परीक्षा)	डॉ मणिकण्ठन एस.	91-471-2524463/575	kanmanis@sctimst.ac.in
कुलसचिव	डॉ सन्तोष कुमार बी.	91-471-2524150	reg@sctimst.ac.in
उप कुलसचिव	सुश्री राधा एम	91-471-2524140	dreg@sctimst.ac.in
सहा प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक)	सुश्री चित्रा टी.एस.	91-471-2524269	regoffice@sctimst.ac.in

विभग/प्रभाग के प्रधान

विभाग/प्रभाग	प्रधान	TelephoneNo.	email-ID
एएमसीएचएसएस	डॉ शंकरा शर्मा पी.	91-471-2524240	sarma@sctimst.ac.in
अस्पताल स्कंध			
विसज्ञन विज्ञान	डॉ थॉमस कोशि	91-471-2524641	koshy@sctimst.ac.in
जैवरसायन-प्रभारी	डॉ श्रीनिवास जी.	91-471-2524689	srinivasg@sctimst.ac.in
नैदानिक अभियत्रिकी प्रभाग	इ. षाज उपेन्द्रन	91-471-2524123	shaj@sctimst.ac.in
हृदयविज्ञान	डॉ कृष्णमूर्ती के एम.	91-471-2524452	kmkm@sctimst.ac.in
हृदयवाहिनी और वक्ष शल्यचिकित्सा	डॉ बैजू एस. धरन	91-471-2524648	baijusd@sctimst.ac.in
संगणक प्रभाग-प्रभारी	इ. सुरेष कुमार बी	91-471-2524632	suresh@sctimst.ac.in
आधान चिकित्सा	डॉ देबाशिष गुप्ता	91-471-2524476	dgupta@sctimst.ac.in
सूक्ष्मजीवविज्ञान	डॉ कविता राजा	91-471-2524222	kavita_raja@sctimst.ac.in
तंत्रिका विज्ञान	डॉ शैलजा पी.एन.	91-471-2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
तंत्रिका शल्यचिकित्सा	डॉ ईश्वर एच.बी	91-471-2524632	easwer@sctimst.ac.in
नर्सिंग शिक्षा	सुश्री सुजा राज एल.	91-471-2524416	ins@sctimst.ac.in
पैथोलॉजी- प्रभारी	डॉ दीप्ति ए.एन	91-471-2524605	akkihebbal@sctimst.ac.in
इमेजिंग विज्ञान और हस्तक्षेप रेडियोलॉजी	डॉ बिजोय थॉमस	91-471-2524220	kesav@sctimst.ac.in
चिकित्सा अभिलेख	श्री शिवप्रसाद आर.	91-471-2524415	smro@sctimst.ac.in

जैव चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी (बीएमटी) विभाग

प्रधान-बीएमटी स्कंध-प्रभारी	डॉ हरिकृष्ण वर्मा पी.आर.	91-471-2520201	varma@sctimst.ac.in
सहा.प्रधान बीएमटी स्कंध	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान विभाग	डॉ माया नन्दकुमार ए.	0471-2520260,250	anmaya@sctimst.ac.in
जैव सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
चिकित्सा उपकरण अभियंत्रिकी विभाग	डॉ रॉय जोसफ	91-471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता प्रबंधन विभाग	इं. बलराम एस.	91-471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
कृत्रिम आतंरिक अवयव	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
बायोसिरेमिक्स प्रयोगशाला	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
विष विज्ञान विभाग	डॉ मोहनन पी.वी.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
बायोफोटोनिक्स और इमेंजिंग विभाग	डॉ जयश्री आर.एस.	0471-2520273	jayasree@sctimst.ac.in
जैव सतक प्रौद्योगिकी विभाग	डॉ रेखा एम.आर.	0471-2520214	rekhamr@sctimst.ac.in
अंशांकन प्रकोष्ठ	इं. लीना जोसफ	0471-2520279	leenaj@sctimst.ac.in

दंत चिकित्सा उत्पादों का प्रभाग	डॉ लिसिमोल पी.पी.	0471-2520221	lizymol@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी पैथोलॉजी	डॉ अनिलकुमार टी.वी.	0471-2520305	tvanilkumar@sctimst.ac.i
एक्स्ट्राकोर्पोरियल उपकरणों का प्रभाग	इं.नागेश डी.एस.	0471-2520217	nagesh@sctimst.ac.in
प्रत्यारोपण जीवविज्ञान	डॉ शबरीश्वरन ए.	0471-2520311	asw@sctimst.acin
इन विवो मोडलस और टेस्टिंग	डॉ उमाशंकर पी.आर.	0471-2520226	umashnkr@sctimst.ac.in
प्रयोगशाला पशु विज्ञान	डॉ हरिकृष्णन वी.एस.	0471-2520227	harikrishnan@sctimst.ac.
चिकित्सा उपकरण	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2524259	muralicv@sctimst.ac.in

सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी	डॉ माया नन्दकुमार ए.	0471-2520260/250	anmaya@sctimst.ac.in
आणविक चिकित्सा विभाग	डॉ अनूप कुमार टी.	0471-2520256/257	anoop@sctimst.ac.in
केंद्रीय विश्लेषणात्मक सुविधा	डॉ रॉय जोसफ	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
पॉलिमेरिक चिकित्सा उपकरणों का प्रभाग	डॉ रमेश पी. डॉ रॉय जोसफ	0471-2520225/ 265/275	rameshp@sctimst.ac .in
सटीक निर्माण सुविधा	इं. रमेश बाबु वी.	0471-2520245	ramesh@sctimst.ac.in
निद्रा विकार खंड	डॉ कमलेश के गुलिया	0471-2520450	kkgulia@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी व्यवसाय/टीआई मेड	इं. बलराम	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
घनास्त्रता अनुसंधान इकाई	डॉ अनुज्ञा भट्ट	0471-2520219	anugyabhatt@sctimst.ac.in
ऊतक संवर्धन	डॉ अनिलकुमार पी.आर.	0471-2520261	anilkumarpr@sctimst.ac.in
ऊतक अभियंत्रिकी और पुनर्योजी प्रौद्योगिकी	डॉ प्रभा डी. नायर	0471-2520242	prabha@sctimst.ac.in
विष विज्ञान	डॉ मोहनन पी.वी.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
इलेक्ट्रन सम्प्रेषित दूरदर्शी	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520220	manoj@sctimst.ac.in

छात्र आरक्षण और समान अवसर प्रकोष्ठ

1.	सह संकायाध्यक्ष (संकाय एवं छात्र कार्य)	संपर्क अधिकारी (पदेन)
2.	संस्थान में छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए नोडल अधिकारी	सदस्य (पदेन)
3.	डॉ रॉय जोसफ	वैज्ञानिक जी., बीएमटी स्कंध-सदस्य
4.	डॉ बिजू सोमन	प्राचार्य-एएमसीएचएसएस-सदस्य
5.	डॉ उण्णिकृष्णन के पी.	प्राचार्य-विसंज्ञनविज्ञान विभाग-सदस्य
6.	इं रंजित जी.	इंजिनीयर-ई-सदस्य
7.	श्री आनंदकुमार के.यू.	अभिभावक प्रतिनिधि
8.	कुलसचिव	सदस्य
9.	सुश्री दीप्ति चन्द्रन	छात्र सदस्य

10	उप कुलसचिव	संयोजक

रैगिंग-विरोधी समिति

1	निदेशक	अध्यक्ष
2	विभागाध्यक्ष, हृदयविज्ञान	सदस्य
3	विभागाध्यक्ष, सीवीटीएस	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष, तंत्रिकाविज्ञान	सदस्य
5	विभागाध्यक्ष, तंत्रिका शल्यचिकित्सा	सदस्य
6	विभागाध्यक्ष, विसंज्ञन विज्ञान	सदस्य
7	विभागाध्यक्ष, आईएस & आईआर	सदस्य
8	नर्सिंग में व्याख्याता	सदस्य
9	एक अभिभावक प्रतिनिधि	सदस्य
10	एक कनिष्ठ छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
11	एक वरिष्ठ छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
12	सुश्री. प्रिया पी., प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
13	सहा प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक)	संयोजक

छात्र शिकायत और निवारण समिति			
प्रेफ. श्रीनिवास वी.जी	अध्यक्ष	+91-471-2520241	shri@sctimst.ac.in
प्रोफ. नारायण् नम्बूतिरि के.के.	सदस्य	+91-471-2524384	kknnamboodiri@sctimst.ac.in
डॉ कृष्णकुमार के.	सदस्य	+91-471-2524246	kkns@sctimst.ac.in
डॉ अनूपकुमार टी.	सदस्य	+91-471-2520256	anoop@sctimst.ac.in
प्रोफ. राखाल गायतोंडे	सदस्य	+91-471-2520241	rakhal.gaitonde@sctimst.ac.in
डॉ रविप्रसाद वर्मा	सदस्य	+91-471-2520261	rpvarma@sctimst.ac.in
श्रीमती सुजा राज	सदस्य	+91-471-2520416	ins@sctimst.ac.in
सुश्री दीप्ति चन्द्रन	छात्र सदस्य	+91-471-2520596	deepthy@sctimst.ac.in
स्कंध का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छात्र सदस्य जहां शिकायत हुई है, संकायाध्यक्ष/निदेशक द्वारा नामित किया जाना है।			

अनुलग्नक – I

भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा उत्पादित किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुम. .....

श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री.....

गांव/शहर.....

जिला/मंडल ..... राज्य में ..... के अंतर्गत आता है .... **समुदाय जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:**

i. संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10/09/93 **भारत के राजपत्र** असाधारण भाग I खंड I संख्या 186 **दिनांक** 13/09/93 में प्रकाशित।

ii. संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94 **भारत के राजपत्र असाधारण** भाग I खंड I संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित।

iii. संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95 **भारत के राजपत्र असाधारण** भाग I खंड I संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित।

iv. संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 9/03/96।

v. **भारत के राजपत्र असाधारण** भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 11/12/96 **में** प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-**बीसीसी** दिनांक 6/12/96।

vi. संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97। vii. संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97। viii. संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।

ix. संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 6/12/99 **भारत के राजपत्र असाधारण** भाग I खंड I संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित।

x. **भारत के राजपत्र असाधारण** भाग I खंड I संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 **में** प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-**बीसीसी** दिनांक 04/04/2000।

xi **भारत के राजपत्र असाधारण** भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 **में** प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/99-**बीसीसी** दिनांक 21/09/2000।

xii. संकल्प संख्या 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 06/09/2001। xiii. संकल्प संख्या 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 19/06/2003। xiv. संकल्प सं. 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।

xv. भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांकित में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006

16/01/2006।

xvi. संकल्प संख्या 12011/14/2004-बीसीसी दिनांक 12/03/2007 भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 67 दिनांक 12/03/2007 में प्रकाशित।

xvii. संकल्प संख्या 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/2010।

xviii. संकल्प संख्या 12015/13/2010-बीसीसी दिनांक 08/12/2011।

श्री/श्रीमती/कुम .... और/या उसका परिवार आमतौर पर ..... के जिले/मंडल में रहता है। ..... राज्य। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था.(Res.) दिनांक 09/03/2004 द्वारा संशोधित किया गया है और आगे कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था. (Res.) दिनांक 14/10/2008 और आगे के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था (Res.) दिनांक 27/05/2013 या भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना द्वारा संशोधित।

दिनांक: जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी

मोहर

टिप्पणी

क. यहां प्रयुक्त शब्द 'आम तौर पर' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

i. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

i. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और

iv. उस क्षेत्र का अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।

ओबीसी (एनसीएल) **प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि से एक वर्ष के** भीतर होनी चाहिए।

अनुलग्नक – II

सरकार .....

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा उत्पादित किया जाने वाला आय और सहायता प्रमाण पत्र।

प्रमाणपत्र संख्या दिनांक:

वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

का बेटा/बेटी/पत्नी

स्थायी निवासी , ग्राम/सड़क डाकघर जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र **में पिन** कोड जिसका फोटो नीचे प्रमाणित है, **आर्थिक रूप से कमजोर** वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके "परिवार"** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। **उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं** है या उसके पास नहीं है***

I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;

II. 1000 **वर्ग फुट और** उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. **अधिसूचित नगर पालिकाओं** में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड;

IV. **अधिसूचित नगर पालिकाओं** के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 **वर्ग गज और** उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी किसकी हैं

जाति जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (**केंद्रीय सूची**) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम पदनाम

*टिप्पणी 1: **आय में सभी स्रोत** शामिल हैं जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए **"परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, **जो आरक्षण का लाभ चाहता** है, उसके माता-पिता और 18 **वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन** शामिल हैं।

वर्ष के साथ-साथ उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी

*** टिप्पणी 3: एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या अलग-अलग स्थानों में रखी गई संपत्ति ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग परीक्षण लागू करते समय स्थानों/शहरों को क्लब किया गया है।

अनुबंध – III

पीडीएफ छात्रों के लिए बांड प्रारूप

अनुबंध के लेख, इस दिन को दो का बना दिया

हजार और बाईस के बीच

..... का बेटा/बेटी

.....

.....। (इसके बाद वरिष्ठ निवासी कहा जाता है) और दूसरे भाग के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम (इसके बाद इसके निदेशक के माध्यम से संस्थान कहा जाता है)।

जबकि संस्थान पहले भाग के भाग को वरिष्ठ के रूप में स्वीकार करना चाहता है

जनवरी, 2022 के दिन से शुरू होने वाले वर्षों की अवधि के लिए निवासी।

और इसके पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि वरिष्ठ निवासी यहां निहित नियमों और शर्तों पर संस्थान की सेवा करेगा।

अब ये प्रस्तुत करते हैं साक्षी और यहाँ के पक्ष क्रमशः इस प्रकार सहमत हैं:

1. वरिष्ठ निवासी संस्थान और अधिकारियों और प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति स्वयं को प्रस्तुत करेगा जिनके अधीन उन्हें समय-समय पर निदेशक, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा रखा जा सकता है ..... के रूप में कार्य करेगा। ..... जनवरी, 2022 के .... दिन से शुरू होने वाले ..... की अवधि के लिए वरिष्ठ निवासी, जब तक कि उनकी सेवाएं पहले समाप्त नहीं हो जातीं, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।

2. वरिष्ठ निवासी की सेवाएं निम्नानुसार समाप्त की जा सकती हैं:

(i) संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि

संस्थान के निदेशक चिकित्सा साक्ष्य पर संतुष्ट हैं कि वरिष्ठ निवासी अयोग्य है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अस्वस्थता के कारण काफी समय तक अयोग्य रहने की संभावना है, बशर्ते कि निदेशक का निर्णय कि वरिष्ठ निवासी अनफिट है और उसके अनफिट रहने की संभावना है, वह निर्णायक होगा और उसके लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि वरिष्ठ निवासी किसी भी अवज्ञा, हस्तक्षेप या अन्य कदाचार या समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या गैर-निष्पादन का दोषी होगा, या इससे संबंधित किसी भी नियम संस्थान, हमेशा प्रदान करता है कि इस संबंध में संस्थान के निदेशक का निर्णय निर्णायक और उसके लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) इस अनुबंध के तहत सेवा के दौरान किसी भी समय संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए तीसवें दिन की लिखित सूचना।

बशर्ते कि संस्थान के निदेशक यहां दिए गए किसी भी सूचना के बदले वरिष्ठ निवासी को उसके वेतन की राशि के बराबर राशि तीस दिनों के लिए या तीस दिनों से कम सूचना दे सकते हैं।

3. यदि वरिष्ठ निवासी को उसके आचरण की किसी जांच के संबंध में ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता है, तो वह निलंबन की ऐसी अवधि के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

4. वरिष्ठ निवासी अपना पूरा समय उक्त सेवा के कर्तव्यों के लिए समर्पित करेगा और अपने स्वयं के खाते में किसी भी व्यापार / व्यवसाय / व्यवसाय / या पेशे (किसी भी निजी प्रैक्टिस सहित) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होगा। और (दुर्घटना या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बीमारी के मामले को छोड़कर) संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारियों से पहले अनुमति प्राप्त किए बिना खुद को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं करेगा।

5. वरिष्ठ निवासी, इस करार में दिए गए प्रावधान के अलावा, संस्थान द्वारा प्रवेश दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा किए बिना अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। संबंधित चूककर्ता को कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन या उसके बाद छोड़ने का निर्णय लेने पर ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. मासिक वेतन संस्थान के नियम के प्रभाव से .....2022 के दिन से संस्थान वरिष्ठ निवासी को तब तक भुगतान करेगा जब तक वह उक्त क्षमता में रहता है और वास्तव में पूर्वोक्त रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है ।

7. वरिष्ठ निवासी को निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क का भुगतान बाद के शैक्षणिक वर्षों की 31 जनवरी को या उससे पहले करना चाहिए।

8. वरिष्ठ निवासी चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में ऐसी रियायत के लिए पात्र होंगे जो संस्थान द्वारा निर्धारित की जाए।

9. वरिष्ठ निवासी को उनकी पात्रता के अनुसार छात्रावास में सिंगल/डबल/पारिवारिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ निवासी को उस संस्थान के छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जहां उसे ठहराया जाता है और केवल लाइसेंसधारी के रूप में उसे आवंटित कमरे पर कब्जा करेगा। जब संस्थान पात्र आवास की पेशकश करने में असमर्थ है, तो संस्थान के नियमों के अनुसार ऐसे वरिष्ठ निवासियों को एचआरए का भुगतान किया जा सकता है।

10. वरिष्ठ निवासी, वरिष्ठ निवासी की समय से पहले समाप्ति की स्थिति में, कार्यकाल की समाप्ति के दिनों के भीतर या उससे पहले के रूप में उसे दिए गए आवास को खाली कर देगा। संस्थान के निदेशक, जहां इस तरह के आवास प्रदान किए जाते हैं, वरिष्ठ निवासी के विफल होने या इस तरह के आवास को खाली करने और निदेशक को शांतिपूर्ण कब्जा देने के मामले में बेदखली के लिए कार्रवाई करने का हकदार होगा।

11. अध्ययन के अनुसरण में शैक्षणिक कार्य करने के अलावा, वह विभाग/इकाइयों के प्रमुख द्वारा सौंपे गए सभी आवश्यक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, जहां उसे रोगी की छुट्टी पर रखा जाएगा। कुशल रोगी देखभाल और अस्पताल चलाने के हित में उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाने वाले रिकॉर्ड और ऐसे अन्य नैदानिक और तकनीकी कर्तव्यों की देखभाल और रखरखाव। संस्थान के निदेशक का निर्णय कि क्या वरिष्ठ निवासी ने उपरोक्त सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है, वरिष्ठ निवासी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12. वरिष्ठ निवासी के काम के घंटे सामान्य रूप से अधिक नहीं होंगे

एक दिन में बारह घंटे से अधिक की निरंतर ड्यूटी, विभाग (इकाइयों / वार्डों) के कामकाज में उत्पन्न होने वाली ऐसी अत्यावश्यकताओं के अधीन, जहां उसे रखा जा सकता है और इस संबंध में, संस्थान के निदेशक का निर्णय होगा वरिष्ठ निवासी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

13. वरिष्ठ निवासी ऑन कॉल और स्टे ड्यूटी के लिए उत्तरदायी होंगे, जो सामान्य रूप से एक बार में बारह घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. कार्यकाल के दौरान वह संस्थान के नियमों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा।

15. वरिष्ठ निवासी को नौकरी की स्थिति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी/ अपने अध्ययन के दौरान कहीं और असाइनमेंट और इस तरह के आवेदन को समझौते की वैधता के दौरान अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

16. वरिष्ठ निवासी को उसकी पढ़ाई बंद करने की स्थिति में संतोषजनक कार्य, अनुभव, प्रदर्शन आदि के किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

17. संस्थान में किसी भी रूप में रैगिंग निषिद्ध है और जो साथी वरिष्ठन निवासी की रैगिंग का सहारा लेते हुए पाए जाते हैं और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने इस टिप्पणी को पढ़ लिया है और इसका पालन करता हूं।

जहां वरिष्ठ निवासी और संस्थान के संकायाध्यक्ष के लिए और संस्थान की ओर से यहां पहले दिन और वर्ष ऊपर लिखा हुआ है।

ज़मानत शर्तें

गवाहों की उपस्थिति में (बड़े अक्षरों में) हस्ताक्षरित।

(वरिष्ठ निवासी का नाम और हस्ताक्षर)

नाम और पते के साथ गवाह के हस्ताक्षर

1.

2.

संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)

एससीटीआईएमएमएसटी, तिरुवनंतपुरम के लिए और उसकी ओर से।

अनुबंध - IV

मैं श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के एक वरिष्ठ निवासी, यह समझता हूं कि उक्त पाठ्यक्रम में मेरे प्रवेश के छह महीने के अंत में मेरा मूल्यांकन किया जाएगा, मेरे लिए शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की इच्छा, योग्यता प्राप्त करना, रोगी की देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध आदि। मैं यह भी समझता हूं कि, यदि मेरा स्कोर कम है, तो मुझे अगले 3 महीनों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और असंतोषजनक, मेरा पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

मैं श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने का वचन देता हूं। मेरे अध्ययन छोड़ने की स्थिति में, यदि कार्यग्रहण के दूसरे दिन या उसके बाद छोड़ने का निर्णय लिया जाता है तो रु.50,00,000/- (पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक:
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित: (नाम और पता)

1. हस्ताक्षर

2. हस्ताक्षर

अनुलग्नक - V

डिप्लोमा छात्रों के लिए बांड प्रारूप

समझौते के लेख, इस दिन को .....

के बीच दो हजार बाईस ..... का बेटा/बेटी

..... (बाद में छात्र कहा जाता है) और दूसरे भाग के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम (इसके बाद इसके निदेशक के माध्यम से 'संस्थान' कहा जाता है)।

जबकि संस्थान ..... जनवरी, 2022 का दिन से शुरू होने वाले ..... की अवधि के लिए छात्र के रूप में पहले भाग की पार्टी को स्वीकार करने का इरादा रखता है।
और इसके पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि छात्र यहां निहित नियमों और शर्तों पर संस्थान की सेवा करेगा।

अब ये मौजूद हैं और यहां के पक्ष क्रमशः निम्नानुसार सहमत हैं:

1. छात्र स्वयं को आदेशों के अधीन प्रस्तुत करेगा

संस्थान और अधिकारी और प्राधिकरण जिनके तहत उन्हें समय-समय पर निदेशक, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा रखा जा सकता है और वे इस रूप में कार्य करेंगे

.....

जनवरी के दिन से शुरू होने वाले .... वर्षों की अवधि के लिए छात्र,

2022 तक उनकी सेवाओं को पहले समाप्त कर दिया जाएगा जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।

2. छात्र की सेवाएं निम्नानुसार समाप्त की जा सकती हैं:

क। संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि संस्थान के निदेशक चिकित्सा साक्ष्य पर संतुष्ट हैं कि छात्र

अनुपयुक्त है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अस्वस्थता के कारण लंबे समय तक अनुपयुक्त रहने की संभावना है, बशर्ते कि निदेशक का निर्णय कि छात्र अनुपयुक्त है और उसके अनुपयुक्त बने रहने की संभावना है, निर्णायक होगा और उस पर बाध्यकारी।

ख। संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि छात्र किसी भी अवज्ञा, हस्तक्षेप या अन्य कदाचार या समझौते के किसी भी प्रावधान, या संस्थान से संबंधित किसी भी नियम के किसी भी उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन का दोषी होगा, जो हमेशा प्रदान किया जाता है कि इस संबंध में संस्थान के निदेशक का निर्णय निर्णायक और उनके लिए बाध्यकारी होगा।

ग। इस अनुबंध के तहत सेवा के दौरान किसी भी समय संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए तीस दिन की लिखित सूचना दी जाती है।
बशर्ते कि संस्थान के निदेशक यहां दिए गए किसी भी सूचना के बदले में छात्र को तीस दिनों के लिए उसके वजीफे/छात्रवृत्ति की राशि के बराबर राशि या तीस दिनों से कम सूचना दे सकते हैं।

3. यदि छात्र को उसके आचरण की किसी जांच के संबंध में ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता है, तो वह निलंबन की ऐसी अवधि के दौरान किसी भी वजीफे/छात्रवृत्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

4. छात्र अपना पूरा समय उक्त सेवा के कर्तव्यों के लिए समर्पित करेगा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से

किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा।

व्यापार/व्यवसाय/व्यवसाय/या पेशा (किसी भी निजी प्रैक्टिस सहित) अपने खाते पर और (दुर्घटना या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बीमारी के मामले को छोड़कर) खुद को अपने उक्त कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रखेगा। संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की।

5. छात्र, इस समझौते में दिए गए प्रावधान के अलावा, उस पाठ्यक्रम को पूरा किए बिना अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा, जिसमें वह रहा है।

संस्थान द्वारा स्वीकार किया गया। संबंधित चूककर्ता 6 महीने के वजीफा/छात्रवृत्ति के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. ..... से प्रभाव से जनवरी 2022 के दिन संस्थान छात्र को तब तक भुगतान करेगा जब तक वह उक्त क्षमता में रहता है और वास्तव में संस्थान के नियमों के अनुसार मासिक वजीफा / छात्रवृत्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

7. छात्र को बाद के शैक्षणिक वर्षों के 31 जनवरी को या उससे पहले निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

8. छात्र चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में ऐसी रियायत के लिए पात्र होगा जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

9. छात्र को छात्रावास में एकल/साझा आवास प्रदान किया जाएगा। छात्र को उस संस्थान के छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जहां उसे ठहराया जाता है और उसे आवंटित कमरे में केवल एक लाइसेंसधारी के रूप में कब्जा करना होगा।

10. छात्र/छात्रा को पूर्वोक्त रूप में दिए गए आवास को कार्यकाल की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर या उससे पहले छात्रवृति के जल्दी समाप्त होने की स्थिति में खाली करना होगा। संस्थान के निदेशक, जहां इस तरह का आवास प्रदान किया जाता है, यदि छात्र इस तरह के आवास को खाली करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है और निदेशक को उसका शांतिपूर्ण कब्जा देने की स्थिति में बेदखली के लिए कार्रवाई करने का हकदार होगा।

11. अध्ययन के अनुसरण में शैक्षणिक कार्य करने के अलावा, वह विभाग/इकाइयों के प्रमुख द्वारा सौंपे गए सभी आवश्यक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, जहां उसे रोगी की छुट्टी पर रखा जाएगा।

अभिलेखों की देखभाल और रखरखाव और ऐसे अन्य नैदानिक और तकनीकी कर्तव्यों को सौंपा जा सकता है रोगी की कुशल देखभाल और अस्पताल चलाने के हित में समय-समय पर उक्त अधिकारियों द्वारा उसे / उसके लिए। संस्थान के निदेशक का निर्णय कि क्या छात्र ने उपरोक्त सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है, अंतिम और छात्र पर बाध्यकारी होगा।

12. छात्र के काम के घंटे आम तौर पर एक दिन में बारह घंटे से अधिक के लिए निरंतर ड्यूटी से अधिक नहीं होंगे, ऐसी अत्यावश्यकताओं के अधीन जो विभाग (इकाइयों/वार्डों) के कामकाज में उत्पन्न हो सकती हैं जहां उसे रखा जा सकता है और इस संबंध में भी संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और छात्र पर बाध्यकारी होगा।

13. छात्र ऑन कॉल ड्यूटी के लिए उत्तरदायी होगा, जो सामान्य रूप से एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।

14. कार्यकाल के दौरान वह संस्थान के नियमों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा/होगी।

15. छात्र को उसकी पढ़ाई के दौरान कहीं और नौकरी की स्थिति / असाइनमेंट के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा आवेदन समझौते की वैधता के दौरान अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

16. छात्र को उसकी पढ़ाई बंद करने की स्थिति में संतोषजनक कार्य, अनुभव, प्रदर्शन आदि के किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र / प्रशंसापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

17. संस्थान में किसी भी रूप में रैगिंग प्रतिबंधित है और जो साथी छात्रों की रैगिंग का सहारा लेते हुए पाए जाते हैं और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने इस टिप्पणी को पढ़ लिया है और इसका पालन करता हूं।

जहां छात्र और संस्थान के संकायाध्यक्ष, संस्थान के शैक्षणिक कार्यों के लिए और संस्थान की ओर से यहां पहले दिन और वर्ष को ऊपर लिखा गया है।

द्वारा हस्ताक्षरित

.....(ब्लॉक अक्षरों में)

गवाहों की उपस्थिति में।

(छात्र के हस्ताक्षर) गवाह के हस्ताक्षर

1.

2.

संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक कार्य

एससीटीआईएमएसटी, तिरुवनंतपुरम के लिए और उसकी ओर से।

अनुलग्नक- VI

1. मैं

..... का

एक छात्र

..... श्री

चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में, यह समझें कि मेरी शैक्षणिक क्षमता, प्रशिक्षण की इच्छा, रोगी देखभाल के प्रति प्रतिबध्दता, पारस्परिक संबंध आदि योग्यता के अधिग्रहण के लिए उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद छह महीने के अंत में मेरा मूल्यांकन किया जाएगा। मैं यह भी समझता हूं कि यदि मेरा अंक कम है, तो मुझे अगले 3 महीनों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और यदि असंतोषजनक पाया जाता है, तो मेरा पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

2. मैं श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने का वचन देता हूं। मेरे अध्ययन छोड़ने की स्थिति में, मध्यावधि में उपरोक्त संस्थान को मुआवजे के रूप में छह महीने के वजीफा/छात्रवृत्ति के बराबर राशि का भुगतान करना चाहिए।

3. मैं एतद्द्वारा उपरोक्त शर्तों से बिना शर्त सहमत हूं।

दिनांक: उम्मीदवार का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:

1. हस्ताक्षर:

2. हस्ताक्षर:

अस्वीकरण

जबकि प्रकाशन के समय इस जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, प्रकाशन के समय और उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी को देखने के समय के बीच परिवर्धन, अध्यतन, परिवर्तन और परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकते हैं। संस्थान उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि किसी भी संदेह के मामले में शैक्षणिक प्रभाग (0471-2524269) के साथ जानकारी की सटीकता और पूर्णता को सत्यांपित करें।